

पंजी. क्रमांक भोपाल हिंदौजन
म. प्र. 108/भोपाल/03-05

डाक-व्यवस्था की पूर्व-आदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति,
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
वि.पू.भु/04 भोपाल-03-05.



राष्ट्रीयाधिकारी न्यायालय

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 364]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 6 सितम्बर 2004—भाद्र 15, शक 1926

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2004

क्र. एफ. 1-उन्सठ-2003-13-1.—मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतदहाए, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा घोलीटेक्निक महाविद्यालय (अध्यापन संबंध) सर्वाम भीती और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित नियम बनाती है, अथवा :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा घोलीटेक्निक महाविद्यालय (अध्यापन संबंध) सेवा (भरती) नियम, 2004 है।

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषायें.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा ओपेक्षित न हो,—

(क) "ए. आई. सी. टी. ई." से अभिप्रेत है आल इंडिया काउन्सिल फार टेक्नीकल एजूकेशन एवट, 1987 (1987 का सं. 52) के अधीन स्थापित आल इंडिया काउन्सिल फार टेक्नीकल एजूकेशन;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के, जो इन नियमों के प्रारंभ होने पर अनुमूची-दो के कॉलम 3 से 7 में वर्णित पदों को गूल रूप से धारण कर रहे हों, संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है सरकार तथा अनुमूची-दो के कॉलम 8 से 12 में वर्णित ऐसे पदों के जो

सोसाइटी/संस्थान को अंतरित किये गये हैं, संबंध में अभिप्रेत है सोसाइटी का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स संस्थान समिति;

- (ग) "बोर्ड ऑफ गवर्नर्स" से अभिप्रेत है सोसाइटी का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स;
- (घ) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;
- (ङ) "संस्थान" से अभिप्रेत है बोई पोलीटेक्निक महाविद्यालय जिसका प्रबंधन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 1-2001, दिनांक 12 जुलाई 2001 के द्वारा प्रबंधन समिति में निहित है;
- (च) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 में यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (छ) "प्रबंधन समिति" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के रजिस्ट्रीकृत किसी पोलीटेक्निक महाविद्यालय को प्रबंधन समिति;
- (ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों में वर्णित विभिन्न अनुसूचियाँ;
- (झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूल वंश या जनजाति का भूग्र या उसमें वा यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति, या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय या उसमें वा यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है,

(ट) "चयन समिति" से अभिप्रेत है अनुसूची-तोंग में उल्लिखित चयन समिति;

(ठ) "सेवा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश तक मिले शिक्षा पोलीटेक्निक महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा;

(ड) "सोसाइटी" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) अंतिम स्तरीय रजिस्ट्रीकृत पोलीटेक्निक महाविद्यालय की सोसाइटी.

3. विस्तार तथा लागू होना.—मध्यप्रदेश रिविल रोवा (रोवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट रूपरूपों की च्या प्रतिकूल प्रगाव डाले चिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।

4. सेवा का गठन.—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

- (क) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से धारण कर रहे हों, डाइंग गठन करेंगे;
- (ख) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(ग) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपर्युक्तों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

५. व्याख्यापण, वैतानिक आदि—सेवा

परन्तु सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु आदि

होने पर सरकारी सेवक द्वारा त्यागे गये पद पोलीटेक्निक महाविद्यालय की सोसाइटी/प्रबंधन समिति वा अंतरित हो जायेगे।

६. भर्ती का तरीका—(१) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती, सीधी भर्ती के गांधग रो चयन द्वारा की जायेगी;

(२) उपनियम—(१) के अपीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची-तीन में दर्शाये गये पदों के प्रतिशत से किसी भी संघय अधिक नहीं होगी;

(३) उपनियम—(१) में अंतर्विष्ट किसी यात के होते हुये भी यदि पोलीटेक्निक महाविद्यालय की सोसाइटी/प्रबंधन समिति की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो सोसाइटी/प्रबंधन समिति, सरकार की पूर्व सहमति से, उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट किए गए सेवा में भर्ती के उन तरीकों से भिन्न भर्ती का ऐसा तरीका अपना सकेगी, जैसा वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करें।

७. सेवा में नियुक्ति—नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां करेगा और ऐसी नियुक्तियां, नियम—६ में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।

८. सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें—चयन के समय प्रतियोगिता में पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(१) आयु (क) (एक) उसने परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख की तीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को, अनुसूची-चार के कालम (३) में यथा-विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली ही तथा उक्त अनुसूची के बालम (४) में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त न की हो;

(दो) कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह कर लिया हो, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा...

(तीन) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

(चार) यदि आयर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उच्चतर आयु-सीमा तक शिथिलनीय होगी;

(ग) उन आयर्थीयों के संबंध में भी, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा तक विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी,

ऐसे अभ्यर्थी की, जो छंटा किया गया सरकारी रोपक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में यदि गई समस्त अस्थायी रोपक की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुग्राम किया जाएगा, वर्षों इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु-सीमा से ताज़े वर्ष रो अधिक न हो;

स्पष्टीकरण।— पद “छंटनी किया गया सरकारी सेवक” से घोटक है ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या संघटक इकाइयों में रोकिसी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरंतर रहा था तथा जिसे रोजगार कार्यालय में आपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी रोपण में नियोजित हुए थे तथा आगे दूसरे भी सारी वर्षों में उन्हें भी आवधि दी गई थी।

(घ) ऐसे अधिकारी को, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, आयु में से उसके द्वारा पूर्व में को गई राष्ट्रीय प्रतिरक्षा सेवा को कालावधि कम करने के लिये अनुमति दिया जाएगा, बरते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु-सीमा से तीन वर्ष से अधिक हो;

स्पष्टीकरण।— पद “भूतपूर्व सैनिक” से घोटक है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रदर्शनों में से किसी भी प्रदर्शन का हो तथा जो भारत सरकार ये अधीन कम से कम छह मास की निरंतर कालावधि तक नियोजित था तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु, अन्यथा, आवेदन देने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मित्र्यव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई थी या उसे अधिशिष्ट (सरप्लस) घोषित किया गया था।

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्धारित बार दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी द्वारा भर्ती किया गया हो, और जिन्हें,—

(क) अल्पकालीन बचनबंध पूर्ण हो जाने पर; और

(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर,

सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(3) मद्रास एविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी,

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं) जो उनको संविदा पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हों;

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों के विस्तृद्ध छह माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पर सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशवत होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अव वे दक्ष सैनिक बनने के योग्य नहीं रहे;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(ङ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं को नियुक्त हेतु विशेष उपबंध), नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अधिकारीयों के लिये उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

- (च) उन अध्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य के निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु-सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी;
- (छ) विधवा, विरागित तथा रात्नाकाशुदा महिला अध्यर्थियों के संबंध में रामान्य उच्चतर आयु-सीमा 55 वर्ष होगी;
- (ज) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड भारक अध्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (झ) आदिम जाति, हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्गतीय विवाह प्रोत्साहन स्कीम के अधीन पुरस्कृत सर्वांग पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ञ) "विक्रम पुरस्कार धारक" अध्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ट) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना (होमगार्ड) के नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु-सीमा 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जायेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

टिप्पणी:-(1) विभागीय अध्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिए उपस्थित होने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

2. **शैक्षणिक अहंताएं**—उसके पास ऐसी शैक्षणिक अहंताएं होनी चाहिए जो अनुसूची चार में सेवा के लिये विहित की गई हैं।

3. **फीस**—उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा।

4. **निरहिता**—अध्यर्थी की ओर से आपनी अध्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई भी प्रयास उसे चयन के लिये निरहित करेगा।

10. **अध्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय**—चयन/परीक्षा के लिये किसी अध्यर्थी की पात्रता या अन्यथा नहीं किया गया है, परीक्षा और/या साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होने दिया जायेगा।

11. **चयन द्वारा सीधी भर्ती**—(1) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, समय-समय पर अवधारित करें।

(2) सेवा के लिये अध्यर्थियों का चयन, वोर्ड ऑफ गवर्नर्स/प्रबंधन समिति द्वारा लिखित परीक्षा तथा/या साक्षात्कार की प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा।

(3) **अनुसूची**—एक में विनिर्दिष्ट विभिन्न पदों पर नियुक्ति, आरक्षण संबंधी विधि या नियमों के द्वारा शासित होगी, जैसे :—

(क) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुपूर्चित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपनियंत्रों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुपूर्चित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये पदों को आरक्षित रखा जायेगा। इस प्रयोगजन के लिये रीस्टर का रांधारण संस्थान के स्तर पर किया जायेगा।

(४) पाइला अधिकारी को लिये आरपाण, मध्यप्रदेश रिविल रोबा (पाइलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार लागू होगा।

(५) राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग अधिकारीयों ये; लिये भारकारी लागू होगा।

12. नियुक्ति ये लिये सिर्फारिश किये गये अधिकारीयों की सूची—(१) चयन समिति, ऐसे अधिकारीयों सी, जो धिशिए सेवा/पद ये; लिये ऐसे रत्न रो अपूर्त हो, जैसा कि नियुक्ति प्राप्तिकारी अवधारित करें, योग्यता के क्रम से बनाई गई सूची संबंधित फैलीटेकनिक महाविद्यालय के नियुक्ति प्राप्तिकारी को अप्रेयित करेगी। चयन किए गए अधिकारीयों की सूची सर्व-साधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जायेगी।

(२) चयन समिति विभिन्न संवर्ग यथा सामान्य, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग आदि के अधिकारीयों की पृथक्-पृथक् सूची तैयार करेगी।

(३) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये, उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिये अधिकारीयों पर उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम चयन सूची में आये हों।

(४) सूची में किसी अधिकारी का नाम समिलित किये जाने से ही नियुक्ति का अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राप्तिकारी का ऐसी जांच के वशन, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अधिकारी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(५) चयन सूची, संस्था के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स/प्रबंधन समिति द्वारा इसके अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी।

13. सेवा की शर्तें—(१) प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी भर्ती अनुसूची-तीन में दर्शाये गये मूल पद यथा व्याख्याता, प्रशिक्षण एवं स्थान अधिकारी (ग्रेड-2), सिस्टम एनालिस्ट (ग्रेड-2 एवं 3), पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सहायक कर्मशाला अधीक्षक तथा प्रोग्राम, आदि के रूप में हुई हो, प्रारंभ में तीन वर्षों की कालावधि के लिये संविदा पर नियुक्त किया जाएगा। इस कालावधि के पूर्ण होने पर, सरकार द्वारा यथा अनुमोदित अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति प्राप्तिकारी द्वारा अधिकारी के कार्य का पुनर्वितोकन किया जाएगा तथा यदि उपयुक्त पाया जाने तो उसे नियमित नियुक्ति प्रस्तावित की जाएगी।

(२) सोसाइटी/प्रबंधन समिति, अनुसूची-दो में दर्शाये गये विभागाध्यक्षों, कर्मशाला अधीक्षकों, प्रशिक्षण एवं स्थान अधिकारी (ग्रेड-1, सिस्टम एनालिस्ट (ग्रेड-1) तथा प्राचारार्थी आदि के पदों पर दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियमित नियुक्ति कर सकेगी।

(३) इन नियमों के अधीन नियुक्ति किसी व्यक्ति द्वारा आवरण, रापय-रायप पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल रोबा (आपरण) नियम, 1965 द्वारा शासित होगा।

(४) इन नियमों के अधीन नियुक्ति कोई व्यक्ति पेशन तथा उससे संबंधित अन्य फायदों के लिये हकदार नहीं होगा। यद्यपि ऐसे व्यक्तियों का, जो इन नियमों के प्रारंभ होने पर अनुसूची-दो में उल्लिखित पदों को मूल रूप से धारण करते हैं, उच्च पदों पर चयन होने पर उस पद के, जिससे उनको सेवानिवृत्ति हुई है, पेशन संबंधी फायदों के हकदार होंगे।

(५) इन नियमों के अधीन नियुक्ति व्यक्ति की सेवाएं, किसी भी पक्ष द्वारा एक मास की सूचना या उसके स्थान पर एक मास के वेतन का भुगतान करने पर, संविदा/परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पूर्व भी समाप्त की जायेगी।

(6) इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति उन कर्मचारियों के समान चिकित्सा सुविधाओं के फायदे तथा यात्रा भता का हकदार होगा, जिसके लिये राज्य सरकार में उनके सामुद्रत्य संवर्ग के कर्मचारी हकदार हैं।

(7) इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा, सभय-समय पर यथा विनिश्चित अंशदायी भविष्य निधि के लाभ का भी हकदार होगा।

(8) इन नियमों के अधीन संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिन की ऐच्छिक छुटियों का हकदार होगा किन्तु वह किसी अन्य प्रकार की छुट्टी या अवकाश का हकदार नहीं होगा, नियमित आधार पर नियुक्त अन्य व्यक्ति ऐसे अवकाश लाभों के हकदार होंगे, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को लागू हैं।

(9) संविदा/नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्ति आॅट इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नीकल एज्यूकेशन के सन्त्रियमों के अनुसार उच्च अर्हताएं लाभों के हकदार होंगे, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को लागू हैं।

(10) सेवा को अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि उसको नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट की गई हों।

14. धारणाधिकार.—यदि कोई व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक के कॉलम (3) से (7) में विनिर्दिष्ट पद मूल हैसियत में धारण कर रहा हो, प्रतिनियुक्ति पर होगा और यदि इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् इन नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किसी उच्चतर पद पर चयन होता है तो उसे अपने मूल पद पर अधिकतम तीन वर्ष की कालावधि के लिये धारणाधिकार दनाये रखने की अनुज्ञा दी जायेगी। ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व उस संस्थान के जिसमें कि वह सेवा कर रहा है, नियुक्ति प्राधिकारी को अध्यर्थी के आमेलत के बारे में अंतिम विनिश्चय करना होगा।

15. राज्य सरकार की भर्ती तथा संवर्ग प्रबंधन नीति का समन्वय करने की शक्ति.—राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह जब कभी भी आवश्यक हो, इन नियमों के अधीन संस्थाओं में भर्ती चयन तथा शिक्षकों के संवर्ग के प्रबंधन के लिये सामान्य सन्नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुसरण करने संबंधी निर्देश सोसाइटी/प्रबंधन समिति को जारी करें।

16. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

17. शिथिलीकरण.—इन नियमों में किसी घाता का यह अर्थ नहीं लागता जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत और साम्प्राप्ति प्रतीत होती हो, कार्रवाई करने की शक्तियों को सीमित या कम करती हो:

परन्तु किसी गामते को ऐसी रीति में नहीं निपटाया जायेगा, जो उसके लिये इन नियमों में उपबंधित रीति से कम अनुकूल हो।

18. निरसन और व्यावृत्ति.—इन नियमों के तत्त्वानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समरत नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा, निरसन किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गये किसी आदेश या कोई गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह इन नियमों के तत्त्वानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

प्र० ३८
११) -
१२)

सर्वांग

	(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
	(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१०. अंगस्तीकारी	०	०	०	०	०	०
११. अंगस्तीकारी	०	०	०	०	०	०
१२. अंगस्तीकारी	०	०	०	०	०	०
१३. अंगस्तीकारी	०	०	०	०	०	०
१४. अंगस्तीकारी	०	०	०	०	०	०
१५. अंगस्तीकारी	०	०	०	०	०	०
१६. अंगस्तीकारी	०	०	०	०	०	०
१७. अंगस्तीकारी	०	०	०	०	०	०
१८. अंगस्तीकारी	०	०	०	०	०	०
१९. अंगस्तीकारी	०	०	०	०	०	०
२०. अंगस्तीकारी	०	०	०	०	०	०
२१. अंगस्तीकारी	०	०	०	०	०	०
२२. अंगस्तीकारी	०	०	०	०	०	०

१४०. ११)
५

संक्र.	वर्गक्रम	खोलतार												क्रमांकनाम	वैश्वमत विवरण														
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	
23.	संस्कृत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	संस्कृत	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25.	संस्कृत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	संस्कृत	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	संस्कृत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	संस्कृत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	संस्कृत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	संस्कृत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	संस्कृत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. अन्यान्य																													
1.	संस्कृत	5	6	0	9	0	6	0	6	6	6	5	0	1	3	4	3	0	0	4	0	0	7	0	7	0	6	1	0
2.	संस्कृत	3	6	7	11	0	4	0	9	5	7	6	3	4	4	5	6	4	6	5	0	7	5	6	3	7	6	0	138
3.	संस्कृत	4	5	5	7	3	3	0	6	3	3	8	5	0	4	5	4	5	3	5	5	5	5	6	0	7	5	0	117

प्रथम 8000-13500
द्वितीय (एकांकितार्दि).
तीसरा 8000-13500
चौथा (एकांकितार्दि).
पांचवा 8000-13500
छठा (एकांकितार्दि).

6

ક્રમાંક	અધ્યાત્મ	અધ્યાત્મ	ક્રમાંકના			ક્રમાંકના	ક્રમાંકના
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30. સુધીના પણાંદાંના	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
31. ક્રેડિટ નાનાના	૩	૨	૦	૦	૦	૦	૦
દાનાના દાનાના							
32. ગ્રેડ ક્રોલ એન્ડ	૩	૩	૦	૧	૨	૦	૦
સ્થાનન અંગીકારી							
33. ચોડ-૨	૦	૩	૦	૧	૦	૦	૦
ચોડ-૨							
34. અંલાંક	૨	૨	૦	૧	૦	૦	૦
અંલાંક							
35. નાફનિંગ એન્ડ	૨	૨	૦	૦	૦	૦	૦
સારન લાંબાંગ							
36. જારન લાંબાંગ	૨	૩	૦	૦	૦	૦	૦
જારન લાંબાંગ							
37. ખૂબિના	૨	૩	૦	૦	૦	૦	૦
ખૂબિના							
38. લાંબાંગ	૨	૩	૦	૦	૦	૦	૦
લાંબાંગ							
39. લેન્ટેન્ડ એક્સોલાંગ	૨	૩	૦	૦	૦	૦	૦
લેન્ટેન્ડ એક્સોલાંગ							
40. નિર્દસ	૨	૩	૦	૦	૦	૦	૦
નિર્દસ							

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मित्रावृ 2004

728 (13)

अंक संख्या (2) अंक संख्या (3)

अनु. क्र.	संघर्षकर्ता	भाग 1-साक्षात् वस्त्रशासी महिला पोलीटिकनिक महाविद्यालय										विवरण (4)	विवरण (5)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	प्राचीन	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	सरम एनोडेट	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
5	गणजन	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	विवाह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	असिस्टेंट संकान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

अनुसूची-एक (नियम 5 देखिए)

भाग 2-साक्षात् वस्त्रशासी महिला पोलीटिकनिक महाविद्यालय

अनु. क्र.	संघर्षकर्ता	भाग 2-साक्षात् वस्त्रशासी महिला पोलीटिकनिक महाविद्यालय										विवरण (4)	विवरण (5)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	प्राचीन	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	विवाहाधायक	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.	संघर्षकर्ता एण्ड ट्रस्टी. कम्पनीकेरन इनो	0	1	1	0	2	0	0	1	1	0	1	1	7
2.	आकांक्षेसर	0	1	1	0	0	2	0	1	0	0	0	3	3

1. संघर्षकर्ता एण्ड ट्रस्टी. कम्पनीकेरन इनो 16400-20000 (एकत्रित रुपी).
2. आकांक्षेसर 16400-20000 (एकत्रित रुपी).
3. 12000-18300 (एकत्रित रुपी).

संख्या (1)	प्राप्ति (2)	प्राप्ति क्रम संख्या (3)			प्राप्ति क्रम संख्या (4)			प्राप्ति क्रम संख्या (5)			प्राप्ति क्रम संख्या (6)					
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
3. कार्मसी	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	प्रथम क्रेणी		
4. कार्यकारी व्यवस्था	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	प्रथम क्रेणी		
5. पाइडन आंगन वनस्पति	1	1	1	1	1	1	0	-1	1	0	1	0	5	प्रथम क्रेणी		
6. वेगभूया अंगकलन दण्ड चोलक निर्वाचन	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	प्रथम क्रेणी		
7. निकालकाल प्रबोधन वास्तविकी	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	प्रथम क्रेणी		
8. कार्यदूर नाईन एड इंडी	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3	प्रथम क्रेणी		
9. उच्चाराय उच्चारण एड इंडी	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	प्रथम क्रेणी		
10. व्युती कार्य एड आनंदेलाली	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	प्रथम क्रेणी		
11. लूड टैकालाली	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	प्रथम क्रेणी		
12. देवस्तार्इत हिंजान	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	प्रथम क्रेणी		
13. लूकाना प्राणीगाँड़ी	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5	प्रथम क्रेणी		
14. विस्तर एप्लिकेशन एड-1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	प्रथम क्रेणी		
15. गारमेट देवतालाली	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	प्रथम क्रेणी		
16. रसरायन एडेट	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	प्रथम क्रेणी		
3 व्याख्याता														12000-18300 (एआईसीटी)		
1. इलेक्ट्रॉनिक्स एड देली कानपूनिकेवन इंडी	0	6	0	0	0	0	4	2	0	6	0	28	प्रथम क्रेणी	3000-13500 (एआईसीटी)		
2. अंगकिंवद्वारा	0	4	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	11	प्रथम क्रेणी	8000-13500 (एआईसीटी)	
3. कार्मसी	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	4	प्रथम क्रेणी	8000-13500 (एआईसीटी)	
4. कार्यदूर एलोफेशन	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	प्रथम क्रेणी	8000-13500 (एआईसीटी)	
5. पाइडन आंगन वनस्पति	2	4	4	2	3	2	0	4	4	1	3	4	3	प्रथम क्रेणी	8000-13500 (एआईसीटी)	
6. वेगभूया अंगकलन हवा योग्यक नियन्त्रण	0	3	4	0	0	0	0	4	4	1	0	4	0	20	प्रथम क्रेणी	3000-13500 (एआईसीटी)
7. चिकित्सा एंटीबायोटिक नियोगिकी	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	प्रथम क्रेणी	8000-13500 (एआईसीटी)	
8. कार्यालय एड इंडी	0	0	0	3	4	1	1	0	0	0	0	14	प्रथम क्रेणी	8000-13500 (एआईसीटी)		

नं. सं.	प्रकार कानून	संख्या	संविधान सभा	विधायिका	वोटों की संख्या										दिवाय क्रमी
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9.	उत्तर प्रदेश इलाहाबाद विधायिका	0.....3.....0.....0.....4.....0.....3.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....10	प्रथम वोटों	8000-13500 (एकाइसीटीटीई).											
10.	उत्तर प्रदेश यात्रा	0.....+.....0.....0.....0.....-.....0.....1.....-.....1.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....3	प्रथम वोटों	8000-13500 (एकाइसीटीटीई).											
11.	गोपनीय	0.....1.....1.....0.....0.....1.....0.....1.....0.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....8	प्रथम वोटों	8000-13500 (एकाइसीटीटीई).											
12.	गोपनीय	0.....1.....1.....0.....0.....1.....0.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....8	प्रथम वोटों	8000-13500 (एकाइसीटीटीई).											
13.	उत्तर प्रदेश कालालालजा	0.....0.....0.....0.....0.....3.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....3	प्रथम वोटों	8000-13500 (एकाइसीटीटीई).											
14.	हृषि उत्कालालजा	0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....4	प्रथम वोटों	8000-13500 (एकाइसीटीटीई).											
15.	उत्कालालजा डिक्टेशन	0.....0.....0.....0.....0.....3.....4.....0.....3.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....4	प्रथम वोटों	8000-13500 (एकाइसीटीटीई).											
16.	रुद्रना जयावनिका	0.....3.....3.....0.....0.....3.....0.....0.....3.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....15	प्रथम वोटों	8000-13500 (एकाइसीटीटीई).											
17.	गोपनीय उत्कालालजा	0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....3	प्रथम वोटों	8000-13500 (एकाइसीटीटीई).											
18.	व्याख्याता चंद्रित श्रीनिवासनाथ	0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....10000-15200 (एकाइसीटीटीई).	प्रथम वोटों	10000-15200 (एकाइसीटीटीई).											
19.	व्याख्याता नरेन्द्र वोतेनदामान	0.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....12000-18360 (एकाइसीटीटीई).	प्रथम वोटों	12000-18360 (एकाइसीटीटीई).											
20.	प्रथमपाल	0.....1.....1.....0.....0.....1.....0.....0.....1.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....9	प्रथम वोटों	9000-13500 (एकाइसीटीटीई).											
21.	प्रथमपाल चतुर्थकृष्णन वेतनमान	0.....1.....1.....0.....0.....1.....0.....0.....1.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....9	प्रथम वोटों	9000-13500 (एकाइसीटीटीई).											
22.	प्रथमपाल लक्ष्मण वेतनमान	0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....9	प्रथम वोटों	10000-15200 (एकाइसीटीटीई).											
23.	सांगीरक व्याकुल श्रीदीक्षिण	0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....12000-18360 (एकाइसीटीटीई).	प्रथम वोटों	12000-18360 (एकाइसीटीटीई).											
24.	शांतिक उत्तमन प्रसादकुमार-बारितु वेणी वेतनमान	0.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....6	प्रथम वोटों	8000-13500 (एकाइसीटीटीई).											
25.	शांतिक उत्तमन प्रसादकुमार-बारितु वेणी वेतनमान	0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....10000-15200 (एकाइसीटीटीई).	प्रथम वोटों	10000-15200 (एकाइसीटीटीई).											
26.	दिनांय देवनन्द	0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....12000-18360 (एकाइसीटीटीई).	प्रथम वोटों	12000-18360 (एकाइसीटीटीई).											
27.	सोमनाथ	0.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....1.....9	दिवाय क्रमी	8000-13500 (एन्य केतनमान).											
28.	सिस्तन एवालीत-भृत-3	0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....0.....1	दिवाय क्रमी	8000-13500 (एन्य केतनमान).											

(9)

अनुसूची-दो

(नियम 5 देखिए)

महाविद्यालयम् महाविद्यालयम् महाविद्यालयम् कोइकरा-

અસ્ત્રાં
નદી કા નામ

(1)

(2)

પંચ મંદ્ર હૃદાય

(3)

(4)

સોમાયારી કો અનુભિતિ ઇન્દ્ર પદ

(4)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	મંડ્ર મંદ્ર				શ્રીમતી				શ્રીમતી				શ્રીમતી				શ્રીમતી				શ્રીમતી				શ્રીમતી					
14. વૈક્ષણિક ટેક્નિકલી	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
15. નાર્દીન આર્થિક સંસ્કૃતિક	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
16. વૈક્ષણિક ટેક્નિકલી	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
17. કાન્સ્ટ્રુક્શન સાઇસ એડ ટ્રેનિંગ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
18. રિસ્ટોરન્ટ એડ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. ઇન્ડસ્ટ્રિયનલ રેસ્ટોરન્ટ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
20. ઇંસ્ટ્રુમેન્ટ્શન	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
21. એન્ટ્રેપ્રાન્ઝિરિંગ ઇન્જીનીઝ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
22. ઇંસ્ટ્રુમેન્ટ્શન સ્ટોરીંગ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
23. કિન્ટર્સ એન્ટૉપ્ટિસ્ટ- પ્રેર્દ-1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. કાન્સ્ટ્રુક્શન અધેક્ષક	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
25. કાન્સ્ટ્રુક્શન એડ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. કાન્સ્ટ્રુક્શન એડ સ્થાન	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
27. કાન્સ્ટ્રુક્શન એડ-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
28. નાર્દીન એડ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
29. નાર્દીન નવીં	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(10)

सोमाइटी को अन्तरित रिकवर पद
(4)

पूर्व से भरे हुए पद
(3)

अनु. क्र. नं. काम
(1) (2)

अनु. क्र.	नाम	पूर्व से भरे हुए पद	(3)	(4)
1.	महाप्रबु	प्रभु	प्रभु	प्रभु
2.	गुरु	गुरु	गुरु	गुरु
3.	महाप्रबु	प्रभु	प्रभु	प्रभु
4.	गुरु	गुरु	गुरु	गुरु
5.	महाप्रबु	प्रभु	प्रभु	प्रभु
6.	गुरु	गुरु	गुरु	गुरु
7.	महाप्रबु	प्रभु	प्रभु	प्रभु
8.	गुरु	गुरु	गुरु	गुरु
9.	महाप्रबु	प्रभु	प्रभु	प्रभु
10.	गुरु	गुरु	गुरु	गुरु
11.	महाप्रबु	प्रभु	प्रभु	प्रभु
12.	गुरु	गुरु	गुरु	गुरु
13.	महाप्रबु	प्रभु	प्रभु	प्रभु
14.	गुरु	गुरु	गुरु	गुरु
15.	महाप्रबु	प्रभु	प्रभु	प्रभु

अनु. क्र.	नाम	पूर्व से भरे हुए पद	(3)	(4)
1.	महाप्रबु	प्रभु	प्रभु	प्रभु
2.	गुरु	गुरु	गुरु	गुरु
3.	महाप्रबु	प्रभु	प्रभु	प्रभु
4.	गुरु	गुरु	गुरु	गुरु
5.	महाप्रबु	प्रभु	प्रभु	प्रभु
6.	गुरु	गुरु	गुरु	गुरु
7.	महाप्रबु	प्रभु	प्रभु	प्रभु
8.	गुरु	गुरु	गुरु	गुरु
9.	महाप्रबु	प्रभु	प्रभु	प्रभु
10.	गुरु	गुरु	गुरु	गुरु
11.	महाप्रबु	प्रभु	प्रभु	प्रभु
12.	गुरु	गुरु	गुरु	गुरु
13.	महाप्रबु	प्रभु	प्रभु	प्रभु
14.	गुरु	गुरु	गुरु	गुरु
15.	महाप्रबु	प्रभु	प्रभु	प्रभु

3. क्षमालयता :—

1. महाप्रबु	2. गुरु	3. महाप्रबु	4. गुरु	5. महाप्रबु	6. गुरु	7. महाप्रबु	8. गुरु	9. महाप्रबु	10. गुरु	11. महाप्रबु	12. गुरु	13. महाप्रबु	14. गुरु	15. महाप्रबु	
१	३६	३	०	०	०	३	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२	४५	१	३५	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३	२९	३	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
४	२७	३	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
५	२३	३	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
६	२०	३	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
७	१९	३	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
८	१८	३	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
९	१७	३	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१०	१६	३	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११	१५	३	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१२	१४	३	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१३	१३	३	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१४	१२	३	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१५	११	३	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१६	१०	३	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१७	९	३	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१८	८	३	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१९	७	३	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२०	६	३	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२१	५	३	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२२	४	३	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२३	३	३	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२४	२	३	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२५	१	३	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२६	०	३	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

२. एकाधिकारी

३. एकाधिकारी

४. एकाधिकारी

५. एकाधिकारी

प्रश्न
परायन

न्वें में भेरे हुए पद

(1) (2) (3)

सोसाइटी को अन्तरित रिक्त पद

(4)

	प्रश्न	परायन	न्वें में भेरे हुए पद	सोसाइटी को अन्तरित रिक्त पद
1.	2	3	4	5
2.	3	4	5	6
3.	7	3	9	10
4.	11	12	13	14
5.	15	16	17	18
6.	19	20	21	22
7.	23	24	25	26
8.	27	28	29	30
9.	31	32	33	34
10.	35	36	37	38
11.	39	40	41	42
12.	43	44	45	46
13.	47	48	49	50
14.	51	52	53	54
15.	55	56	57	58
16.	59	60	61	62
17.	63	64	65	66
18.	67	68	69	70
19.	71	72	73	74
20.	75	76	77	78
21.	79	80	81	82
22.	83	84	85	86
23.	87	88	89	90
24.	91	92	93	94
25.	95	96	97	98
26.	99	100	101	102
27.	103	104	105	106
28.	107	108	109	110
29.	111	112	113	114
30.	115	116	117	118
31.	119	120	121	122
32.	123	124	125	126
33.	127	128	129	130
34.	131	132	133	134
35.	135	136	137	138

अनुसूची-दे

(नियम 5 देखिए)

भाग-1 शासकीय पोलिट्टकार्फिल महाविद्यालय एवं शासन द्वारा स्वशासी घोषित पोलिटेक्निक महाविद्यालय (महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालयों को छोड़कर)

नियम	क्रमांक	पूर्व से भरे हुए पद	सोसाइटी ने अतिरिक्त रिक्त पद	
			(2)	(3)
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
नियम 1	१	३	०	०
नियम 2	२	४	०	०
नियम 3	३	५	०	०
नियम 4	४	६	०	०
नियम 5	५	७	०	०
नियम 6	६	८	०	०
नियम 7	७	९	०	०
नियम 8	८	१०	०	०
नियम 9	९	११	०	०
नियम 10	१०	१२	०	०
नियम 11	११	१३	०	०
नियम 12	१२	१४	०	०
नियम 13	१३	१५	०	०
नियम 14	१४	१६	०	०
नियम 15	१५	१७	०	०
नियम 16	१६	१८	०	०
नियम 17	१७	१९	०	०
नियम 18	१८	२०	०	०
नियम 19	१९	२१	०	०
नियम 20	२०	२२	०	०
नियम 21	२१	२३	०	०
नियम 22	२२	२४	०	०
नियम 23	२३	२५	०	०
नियम 24	२४	२६	०	०
नियम 25	२५	२७	०	०
नियम 26	२६	२८	०	०
नियम 27	२७	२९	०	०
नियम 28	२८	३०	०	०
नियम 29	२९	३०	०	०
नियम 30	३०	३०	०	०

B

मूर्ख में भरे हुए पद
(3)

(2) वर्क का नाम
(3)

सोसाइटी की अन्तरित रिक्त पद
(4)

(4)

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
वर्क का नाम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सोसाइटी की अन्तरित रिक्त पद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) वर्क का नाम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) मूर्ख में भरे हुए पद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) सोसाइटी की अन्तरित रिक्त पद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
वर्क का नाम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सोसाइटी की अन्तरित रिक्त पद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) वर्क का नाम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) मूर्ख में भरे हुए पद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) सोसाइटी की अन्तरित रिक्त पद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
वर्क का नाम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सोसाइटी की अन्तरित रिक्त पद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) वर्क का नाम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) मूर्ख में भरे हुए पद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) सोसाइटी की अन्तरित रिक्त पद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

جذب مهندس

(1) (2)

पुस्तक से भी हुआ पद

3

सोलाइटों को अन्तरित रिक्लूमेंट

1

१८

- | | | |
|----|-------------------------|-----------|
| 1. | कल्पना करने वाली अवस्था | प्रतिकृति |
| 2. | कल्पना करने वाली अवस्था | प्रतिकृति |
| 3. | कल्पना करने वाली अवस्था | प्रतिकृति |
| 4. | कल्पना करने वाली अवस्था | प्रतिकृति |
| 5. | कल्पना करने वाली अवस्था | प्रतिकृति |
| 6. | कल्पना करने वाली अवस्था | प्रतिकृति |
| 7. | कल्पना करने वाली अवस्था | प्रतिकृति |

प्र० क्र.	नगर का नाम	पर्व से भरे हुए पद												सोसाइटी को अद्वितीय दिक्षा पद														
		(1)	(2)	(3)	(4)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10.	नवांड झालायांगड़	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कालाडीलाली																											
11.	दुर्द टेलालाली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	देस्कालालं दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	दुनांना खेडीलाली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	दिल्लीन धारालाली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	गारांट टेलालाली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	दिल्लीन इलाली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	क्षात्रियता:																											
1.	उत्तरांशिलिंग गढ़	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अंगरेजीन गढ़	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	जातीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	कांगड़ एलालाली	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	मालांन आली	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	तेजांग झालालाली ताला देलाला दिल्ली	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	भिंगिलालं दिल्ली दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	बालालं लालाली	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(15)

मुद्रा का

कार्य

पूर्व से भरेहृष्ट

(1)

(2)

(3)

(4)

सोसाइटी को अन्तरित रिक्त पद

728 (28)

	पिण्ड	भीमान	बुहानपुर	छिन्दवाड़ा	खालियर	होशगाबाद	इन्दौर	जबलपुर	खरगौन	नरसिंहपुर	पन्ना	सांगर	सीहोर	योग	पिण्ड	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9. इन्दौर उकोमेन	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. रायपत राज्य	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
11. गोदत	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
12. झंगी	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	6	0	0	1
13. अदृत खड़ना एवं कान्तवालाजी	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
14. छुड़ देवालाजी	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15. देवलधन डिवारन	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. चूरचा प्रीमोजो	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. गावलन देवालाजी	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. गोदाल	0	1	0	0	0	1	2	0	0	1	0	5	0	0	0	0
19. शारामपुर आयोशक	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
20. हिंदोपर फैणी जरनान	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21. गुराहार	0	2	1	1	1	1	1	0	0	1	0	9	0	0	0	0
22. निरन्दन देवालेन	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
23. निरन्दन-3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17. कन्नूर चाहूंस एण्ड इंजी.	0	7	1	100%	
18. शिलायरो एण्ड पेट्रोकेमिकल्स.	0	1	1	100%	
19. इंडियन इलेक्ट्रोनिक्स.	0	1	1	100%	
20. मेकाट्रानिक्स	0	1	1	100%	
21. मैट्रिक्सरोयरो इंजी.	0	1	1	100%	
22. सूचना प्रौद्योगिकी.	0	5	5	100%	
23. तिट्टम एनालिस्ट-ग्रेड-1.	0	0	0	100%	
24. कम्प्युल्ट अधिक्षक	4	25	25	100%	
25. उप संचालक, एलआरडीसी	1	0	0	100%	
26. प्रागशाला एवं स्थान अधिकारी-ग्रेड-1	0	8	8	100%	
27. रेसोजरसन एण्ड एपरेक्टिव रिन्पा	0	1	1	100%	
28. मार्किन एण्ड माइन ग्रोइंग	0	2	2	100%	
29. मार्क सबर्ग	0	1	1	100%	
30. नरत इंजी.	0	1	1	100%	
31. सोमेन्ट टेक्नोलॉजी	0	1	1	100%	

वाराञ्यता :

1. सिविन इंजी.	67	30	100%
2. बैकोनिकल इंजी.	75	63	100%
3. इंटरकॉमिकल इंजी.	50	57	100%
4. इंटरकॉमिकल एण्ड नेटोरी, कम्प्युनिकेशन इंजी.	16	20	100%
5. इंटरमोम्युलेट इंजी.	1	2	100%
6. यातन ज्योग्य एण्ड आकादम्या.	1	0	100%
7. नानोटी	12	2	100%
8. प्रोडक्शन इंजी.	2	2	100%
9. कन्नूर एलोकरान	3	1	100%
10. वॉट्यो उत्पादन	0	1	100%
11. एसाइड लोडिंग्यासी	0	2	100%
12. चल-चित्रिको (सिनेमोग्राफ़ि)	0	1	100%
13. वॉट्यो प्रौद्योगिकी	1	0	100%
14. केनोकल इंजी.	3	4	100%
15. नेप्पलटर्ल टेक्नोलॉजी	2	1	100%
16. मार्क आर्टिग्यूमिंग	6	5	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17. प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी	3	2	2	2	100%	
18. कम्प्यूटर सोर्स एण्ड इंजी.	0	16	16	16	100%	
19. रिफरनेंटी एण्ड एटोकॉमिकल्स.	2	2	2	2	100%	
20. भौतिक शास्त्र	14	18	18	18	100%	
21. रसायन शास्त्र	15	12	12	12	100%	
22. गणित	13	20	20	20	100%	
23. अंग्रेजी	11	17	17	17	100%	
24. इंजीनियर रसायन	1	6	6	6	100%	
25. वनस्पति शास्त्र	1	0	0	0	100%	
26. प्लास्टिक टेक्नोलॉजी	0	3	3	3	100%	
27. पैन्यूफ़िक्सीरा इंजी.	0	5	5	5	100%	
28. इण्डस्ट्रीयल इलेक्ट्रॉनिक्स	0	5	5	5	100%	
29. मैक्रोटीक्निक्स	0	4	4	4	100%	
30. सुचना प्रौद्योगिकी	0	15	15	15	100%	
31. ऐफरोजेरेशन एण्ड एयरकंडिशनिंग.	0	4	4	4	100%	
32. प्रशिक्षण एवं हथानन अधिकारी प्रेड-2	1	8	8	8	100%	
33. वीडियो लिंकिंग	1	0	0	0	100%	
34. आलेखक	0	1	1	1	100%	
35. माइक्रो एण्ड नाइट सेविंग.	4	6	6	6	100%	
36. माइन सर्विश	0	2	2	2	100%	
37. पू-विज्ञान	1	1	1	1	100%	
38. हात इंजी.	0	3	3	3	100%	
39. सीमेंट टेक्नोलॉजी	0	4	4	4	100%	
40. सिस्टम एनालिस्ट प्रेड-2.	0	16	16	16	100%	

व्याख्याता चारिल. देणी वेतनमान अनुक्रमांक 3 में वर्णित समस्त पद

वारिल-क्रेणी व्याख्याता के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुसूची-तीन के दिप्या-3 में अभिक्षित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा।

व्याख्याता प्रवर श्रेणी वेतनमान

अनुक्रमांक 3 में वर्णित समस्त पद

प्रवर श्रेणी व्याख्याता के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुसूची-तीन के दिप्या-2 में अभिक्षित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

प्रधानाला

16

14

100%

प्रधानाल-वौरिच्छ श्रेणी वैदेतनान समुक्षमान 4 में वर्णित समस्त पद

समुक्षमान 4 में वर्णित समस्त पद

प्रवर श्रेणी प्रधानाल के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुचूची-तीन के विपरीत विधायित प्रक्रिया का अनुसरण किया जावेगा।

प्रधानाल-प्रवर श्रेणी दृष्ट मान

अनुक्रमांक 4 में वर्णित समस्त पद

अनुक्रमांक 4 में वर्णित समस्त पद

प्रवर श्रेणी प्रधानाल के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुचूची-तीन के विपरीत विधायित प्रक्रिया का अनुसरण किया जावेगा।

रासारिक व्यायाम शारीरिक

12

13

100%

रासारिक व्यायाम प्रशिक्षण-वौरिच्छ श्रेणी - अनुक्रमांक 5 में वर्णित समस्त पद वैदेतनान

वरिच्छ श्रेणी रासारिक व्यायाम प्रशिक्षक के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुचूची-तीन के विपरीत विधायित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

रासारिक व्यायाम प्रशिक्षण-वौरिच्छ श्रेणी - अनुक्रमांक 5 में वर्णित समस्त पद

वैदेतनान

प्रवर श्रेणी रासारिक व्यायाम प्रशिक्षक के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुचूची-तीन के विपरीत विधायित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

द्वितीय श्रेणी पद :

1. नर्सर्यक कम्पेनारा-उच्च दृष्ट	19	3	100%
2. लोडियोग्राफर	0	1	100%
3. ग्रोग्रामर	10	13	100%
4. टिस्टम एनालिस्ट एंड-3	0	1	100%
5. कैरिमेन	1	0	100%
6. कल्लोकार	1	0	100%
7. अनिस्ट्रेट सर्जन	0	1	100%

अनुसूची-तीन

(नियम 7 देखिए)

भाग-2 शासकाय महिला प्रतिक्रिया अधिकारी

विभाग का नाम	प्रद का नाम	कर्तव्य पद जो सोसाइटी/संस्था को प्रबंधन समिति सोसाइटी/प्रबंधन समिति में भर गए हैं	कर्तव्य पद जो सोसाइटी/संस्था को अन्तित किए गए हैं	सीधे चयन के पाठ्यसम से का प्रतिक्रिया	टिप्पणी
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तकनीकी शिक्षा					
एवं प्रशिक्षण :					
विभागात्मक :					
1. इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेली. कम्युनिकेशन इंजी.	0	7	7	100%	
2. आर्टिक्चर	0	3	3	100%	
3. फार्मसी	0	1	1	100%	
4. कम्प्यूटर एप्लीकेशन	0	1	1	100%	
5. मार्डन आर्फिस मैनेजमेंट	5	6	6	100%	
6. वेप्रूमा अभिकल्पन तथा प्रोप्रैक्ट विमाण	2	3	3	100%	
7. विक्रिता प्रयोगशाला एंड एयालीकी	0	2	2	100%	
8. कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी.	0	3	3	100%	
9. इन्टरिपर डेकोरेशन एण्ड डिजाइन	0	3	3	100%	
10. चर्चु कल्चर एण्ड कार्टन-टालाजी	0	1	1	100%	
11. फूड टेक्नोलॉजी	0	1	1	100%	
12. टेक्नोलॉजी डिजाइन	0	1	1	100%	
13. चुचना प्रैदोगिकी	0	5	5	100%	
14. सिल्स एनालिस्ट ग्रेड-1	0	2	2	100%	
15. गर्नरेंट टेक्नोलॉजी	0	1	1	100%	
16. रजिस्ट्रेशन फ्रॉम्यूल	0	1	1	100%	

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
व्याख्याता :					

1. इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड रेलो. कम्पनीकेरह दंडी।	17	17	100%
2. आजनीटलवर	4	4	100%
3. फार्मेसी	0	4	100%
4. कम्प्यूटर एप्लीकेशन	0	4	100%
5. माइन ऑफिस मोबाइल	12	24	100%
6. वेचभूग ऑफिसियल तथा चौपाल नियम	8	12	100%
7. चिकित्सा प्रयोगशाला प्रैचोनिकी	0	5	100%
8. कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी.	3	11	100%
9. इंटीरियर डेकोरेशन एण्ड डिजाइन	3	7	100%
10. रसायन शास्त्र	1	2	100%
11. गणित	5	3	100%
12. अंग्रेजी	6	2	100%
13. बृद्धी कल्चर एण्ड कास्पेटोलॉजी	1	2	100%
14. फूड टेक्नोलॉजी	0	4	100%
15. एक्सट्रैल डिजाइन	0	4	100%
16. मूल्यना प्रैचोनिकी	0	15	100%
17. गारमेन्ट टेक्नालॉजी	0	3	100%

व्याख्याता वरिएट शेंगी वेतनमान

अनुक्रमांक 3 पर वर्णित समस्त पद

व्याख्याता प्रवर श्रेणी वेतनमान

अनुक्रमांक 3 पर वर्णित समस्त पद

वरिएट शेंगी व्याख्याता के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पणी-3 में अधिकाधित प्रक्रिया का अनुसंधान किया जायेगा।

प्रवर श्रेणी व्याख्याता के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पणी-2 में अधिकाधित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45	प्रथमता-वरिच्छ श्रेणी केवल सभी	अनुक्रमांक 4 पर वर्णित समस्त पद	वरिच्छ श्रेणी प्रथमता के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पणी-4 में अधिकारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।	प्रबंध श्रेणी प्रथमता के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पणी-5 में अधिकारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।	प्रबंध श्रेणी प्रथमता के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पणी-6 में अधिकारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।	प्रबंध श्रेणी प्रथमता के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पणी-7 में अधिकारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।
46	प्रथमता-प्रबंध केवल चेतनमन	अनुक्रमांक 4 पर वर्णित समस्त पद	अनुक्रमांक 5 पर वर्णित समस्त पद	अनुक्रमांक 5 पर वर्णित समस्त पद	अनुक्रमांक 5 पर वर्णित समस्त पद	अनुक्रमांक 5 पर वर्णित समस्त पद
5	शारीरिक व्यायाम व्यायामक	शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक-देखि-देखि वेतनमान	शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक-देखि-देखि वेतनमान	शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक-देखि-देखि वेतनमान	शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक-देखि-देखि वेतनमान	शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक-देखि-देखि वेतनमान
56	दिलीय श्रेणी पद	1. ऋषभनर	2. निस्तम एकात्मत्व-3	9	0	100%

कानियर: प्र० क्वांसंपेट.—कैतियर एवं सम्पर्कों के समस्त स्थानों पर 'अधिर पर लोट, जो कि किक्टों विशेष चर्कों में नज़र खिले परने फर्दों की संख्या' अंकित है।

क्रन्तर: पौ.एच.डी. तथा एम.इ./एम.टेक. की उपाधियां धारण करते हैं, चार तथा दो अधिक्रम वेतन वृद्धि अनुदान होगी।

टिप्पणी-१.—व्याख्याता के रूप में भरती के समय, विज्ञानमानविकी संकाय में उनको जो क्रमसंख्या पौ.एच.डी. तथा एम. प्रियत की डायागियों कारबैट हों और तकनीकी संख्या के

1. उसने चयन के बायं में एक जनवरी को वर्गीकृत वेतनमान में पांच वर्ष पूर्ण कर लिए हैं।

उसके पास स्नातकोत्तर उपाधि हो,

2. उसका पिछले ५ वर्षों का अभिलेख निरंतर रूप से अच्छा हो।

टिप्पणी-२.—व्याख्याता, जो दरिछ वेतनमान व्याख्याता के रूप में कार्यदृष्ट हो, "सिसोदेवराम प्र०" (द्रष्ट श्रेष्ठ) में स्थान के लिए पात्र होगा, यदि :—

1. उसने चयन के बायं में एक जनवरी को वर्गीकृत वेतनमान को 6 वर्षों की सेवा हुन् कर ली हो, दरिछ उसके पास एम.डिल्स, एम.इ./एम.टेक, लाइ.प्र० लियोन, इ.प्र० लियोन आदि के उपाधि के साथ सेवा की छूट दी जायेगी।

2. उसने क्रम-से-क्रम ४ सतह की अवधि के शरदकालीन स्कूलों/ग्रीष्मकालीन स्कूलों/लायू अवधि के निरंतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में धारा लिया हो।

टिप्पणी-३.—व्याख्याता, वरिष्ठ वेतनमान में स्थान के लिए पात्र होगा, यदि :—

1. व्याख्याता के रूप में नियमित रूप से चयन के पश्चात १ जनवरी को 6 वर्षों की सेवा हुन् कर ली हो, दरिछ उसके पास एम.डिल्स, एम.इ./एम.टेक, लाइ.प्र० लियोन, इ.प्र० लियोन आदि के उपाधि के साथ सेवा की छूट दी जायेगी।
2. उसने क्रम-से-क्रम ४ सतह की अवधि के पुनरवर्ती पाठ्यक्रम-शरदकालीन स्कूलों/ग्रीष्मकालीन स्कूलों/लायू अवधि के निरंतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में धारा लिया हो।
3. उसका पिछले तीन वर्षों का अभिलेख निरंतर रूप से अच्छा हो।

टिप्पणी-४.—वरिष्ठ वेतनमान में स्थान के लिए पात्र होगा, यदि :—

1. ए.आई. सी. टी. ई. द्वारा यथाधिहित छूट सहित नियमित नियुक्ति के परवात उसने एक जनवरी को सेवा के 6 वर्ष पूर्ण कर लिये हैं।
2. उसने क्रम-से-क्रम ४ सतह की अवधि के पुनरवर्ती पाठ्यक्रम-शरदकालीन स्कूलों/ग्रीष्मकालीन स्कूलों/लायू अवधि के निरंतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में धारा लिया हो।
3. उसका पिछले तीन वर्षों का अभिलेख निरंतर रूप से अच्छा हो।

टिप्पणी-५.—वरिष्ठ वेतनमान में कार्यरत ग्रंथालय प्रबाल श्रेणी (सिसोदेकराम प्र०) में स्थान के लिए पात्र होगा, यदि :—

1. उसने चयन में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
2. उसने पै. एच.डी. की उपाधि अधिक्रम की हो या उसके समतुल्य गोप्य कार्य प्रक्रियत करवाया हो, और
3. उसका पिछले पांच वर्षों का अभिलेख निरंतर रूप से अच्छा हो।

टिप्पणी-६.—शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षक, वरिष्ठ वेतनमान में स्थान के लिए पात्र होगा, यदि :—

1. ए.आई. सी. टी. ई. द्वारा यथाधिहित छूट सहित नियमित नियुक्ति के परवात एक जनवरी को सेवा के 6 वर्ष पूर्ण कर लिये हों।
2. उसने क्रम-से-क्रम ५ सतह की अवधि के पुनरवर्ती पाठ्यक्रम-शरदकालीन स्कूलों/ग्रीष्मकालीन स्कूलों/लायू अवधि के निरंतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में धारा लिया हो।

दिवांग-7— आठवीं कक्षा में विद्यालय, बोर्ड एवं नेटवर्क में कार्रवाई होने के लिए पत्र होगा, यह

1. उसमें विभिन्न वेतनमान में 5 वर्गों की सेवा पूर्ण कर ली हो।
2. उसमें भी, इसी को उचित अधिप्राप की हो, या उसके समतुल्य शोध कार्य प्रकाशित करवाया।
3. उसका निम्नों पांच वर्गों का अधिकारित निर्वाचन से अच्छा हो।

विषय-8.— लकड़ी का उत्पादन व उत्पादक वर्गों प्रयोग शोध कार्य प्रकाशित करवाया। ऐसी प्रथासात् से ग्रामीण-विभाग-प्रबन्धक ब्रेणी तथा शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक से शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक-वर्तीज्ञानवर्क श्रेणी में कार्रवाई के उनके लिए ध्यान दिया जायेगा। ऐसा स्थान लकड़ीनिया से एक समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नान्कित सदस्य होंगे :—

सरकार द्वारा नियुक्त किए गए शिक्षकों के लिए

संख्या, तकनीकी सिद्धांत एवं प्रशिक्षण	अध्यक्ष
लकड़ीक, लकड़ीकों शिक्षण	सदस्य
स्कॉलर्स/योगदानकारी दोलांटकानिक महाविद्यालयों के दो प्राचार्य	सदस्य
अनुदृष्टि जाहिन/कर्नवाति का प्रतीनिधि	सदस्य

सोसाइटी द्वारा नियुक्त किए गए शिक्षकों के लिए

अध्यक्ष	सदस्य
बोर्ड औफ गवर्नर्स का अध्यक्ष	सदस्य
संशोलक, तकनीकी सिद्धांत विद्यालय का नाम निर्दिष्टित, जो	सदस्य
नियुक्त संकालक की नद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो।	सदस्य
उम्म विश्वविद्यालय का कुलपति, जिसमें संस्था संबद्ध है	सदस्य
अनुदृष्टि जाहिन/कर्नवाति का प्रतीनिधि	सदस्य
संकालक तस्वीर का प्राप्तव्य	सदस्य-सचिव

अनुसूची-चार
(नियम 8 दोखणे)

दिवान का नाम	पद का नाम	न्यूनतम	अधिकतम	रोक्षाग्रक अंहताएं तथा अनुभव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- दिवानकी शिक्षा
एवं प्रशिक्षण
(तकनीकी).
विभाग.
1. प्राचारन
(तकनीकी).
- 60 वर्ष
1. इंजीनियरों/शैक्षिकों की उपयुक्त शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि, प्रथम द्वेषी की स्नातकोत्तर अश्वा स्नातक उपाधि के साथ; और
स्नातकोत्तर अश्वा स्नातक उपाधि के साथ;
2. 15 वर्ष का अध्यापन का अनुभव जिसमें 5 वर्ष का विभागाध्यक्ष का उसके सन्तुलन स्तर का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।
- या
1. इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/टकनीशियन शिक्षा की उपयुक्त शाखा में पाठ्यक्रमी, की उपाधि; और
उपाधि; और
2. 10 वर्ष का अध्यापन का अनुभव जिसमें 3 वर्ष का विभागाध्यक्ष का उसके सन्तुलन स्तर का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।
- (2) 5 वर्ष का विभागाध्यक्ष
या उसके सन्तुलन स्तर का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए
का अनुभव होना चाहिए
विभाग अनुभव का
उपयोग/कार्यक्रम
द्वारा दिया जाना चाहिए
उपयोग का अनुभव होना चाहिए
पात्र होना;
- निम्न लिखितों के लिए
उपयुक्त शाखा में प्रथम द्वेषी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा साथ में इंजीनियरिंग की उपयुक्त शाखा में बुवियादी उपाधि; और
1. आर्किटेक्चर
2. अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग

(1) (2) (3) (4) (5)

**5. विभागाधीश,
कल्पना एवं
कानूनेतार्थी
(संस-कर्कनांको).**

50 वर्ष

कल्पना
कानूनेतार्थी
(संक्षेपनांको).

50 वर्ष

कल्पना
कानूनेतार्थी
(संक्षेपनांको).

1. मानवता प्राच विकास विभाग संस्था दे.प्रयत्न दोर्जी के समाज उद्देश्य,
2. मानवता प्राच विकास विभाग संस्था में लाइसेन्स के लिए उद्देश्य,
3. वृद्धोशिन व्यवहार कल्पना एवं कानूनेतार्थी के थेट में ५ वर्ष का डिग्री कॉलेज (विभाग), एवं अध्यापन अनुभव या ५ वर्ष के कुल अनुभव में के दूसरीम तर्फ का स्नातक हिस्तीन्दिक्षा स्नातक का उपाधि विषय दे अध्यापन का अनुभव तथा योग्य अतिथि का संवादित विषय में उद्योग-कल्पना/प्रशिक्षण में विवृति स्नातक का अनुभव होना चाहिए।

1. मानवता प्राच विकास विभाग संस्था से सामंजस्य संस्कार की में प्रयत्न हेतु में स्नातकोत्तर उपाधि/स्नातकोत्तर प्रयोगशील का वाय प्रयोगशील के सामाजिक संस्कार में स्नातक उपाधि;

मानवता प्राच विकास विभाग संस्था में मंडिरियन हैटिंग विभाग में प्रयत्न के बीच में स्नातकोत्तर उपाधि के वाय मंडिरियन हैटिंग विभाग में स्नातक उपाधि;

2. डिग्रीडिलोमा स्नातक पर ५ वर्ष टेक्नोलॉजी विषय में ५ वर्ष का अध्यापन अनुभव या ५ वर्ष के कुल अनुभव में के दूसरीम ३ वर्ष का डिग्री/डिलोमा स्नातक का सीमेंट टेक्नोलॉजी विषय में अध्यापन का अनुभव तथा योग्य अतिथि का संवादित विषय का उद्योग-कल्पना/प्रशिक्षण कार्य में विवृति स्नातक का अनुभव होना चाहिए।

50 वर्ष

कल्पना
कानूनेतार्थी
(संक्षेपनांको).

50 वर्ष

कल्पना
कानूनेतार्थी
(संक्षेपनांको).

1. मानवता प्राच विकास विभाग संस्था से कल्पना एवं इंजीनियरिंग/कानूनेतार्थी टेक्नोलॉजी विषयकी में प्रयत्न द्वारा में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ ३८ विषयों में से किसी एक १५० में स्नातक उपाधि; और
2. डिग्रीडिलोम स्नातक ५ वर्ष का संवादित विषय का अनुभव या कुल ५ वर्ष के कुल अनुभव में के दूसरीम ३ वर्ष का अनुभव डिग्री/डिलोमा स्नातक प्रयोगशील विषय में अध्यापन का होना चाहिए तथा योग्य अतिथि का संवादित विषय में उद्योग-कल्पना/प्रशिक्षण शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए।

50 वर्ष

विभागाधीश,
कल्पना एवं
इंजीनियरिंग
(संक्षेपनांको).

50 वर्ष

विभागाधीश,
कल्पना एवं
तदा प्रयोगशील विषय
(संक्षेपनांको).

1. मानवता प्राच विकास विभाग संस्था से वाय तथा प्रयत्न निर्धाण में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.एच.एस.सी.) के साथ पाएच.डी. उपाधि; और
2. डिग्रीडिलोम स्नातक ५ वर्ष प्रयोगशील विषय में ५ वर्ष का अध्यापन अनुभव या ५ वर्ष के कुल अनुभव में से के दूसरीम ३ वर्ष का डिग्री/डिलोमा स्नातक प्रयोगशील विषय में अध्यापन का होना चाहिए तथा योग्य अतिथि का संवादित विषय में उद्योग-

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6)

अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फौटल्ड्रूनिंग शोध कार्य में समुचित स्तर का अनुभव होना चाहिए।

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से किसी भी विषय ने प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि तथा बोणाम् अभिकल्पन तथा परिधान विषय ने द्विम् श्रेणी में स्नूतम दो वर्षों व प्रोफायरी, और

2. संबंधित विषय में 8 वर्ष का डिग्रीडिप्लोमा त्वार का अध्यापन अनुभव यो 8 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्रीडिप्लोमा स्तर का उपरोक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फौटल्ड्रूनिंग शोध कार्य में समुचित स्तर का अनुभव होना चाहिए।

50 वर्ष

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से फूड टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, और

2. डिग्रीडिप्लोमा स्तर पर फूड टेक्नोलॉजी में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्रीडिप्लोमा स्तर का फूड टेक्नोलॉजी विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फौटल्ड्रूनिंग शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए।

50 वर्ष

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि,

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कर्मचारी टेक्नोलॉजी विषय में प्रथम श्रेणी में सम. एस. एस. और

2. डिग्रीडिप्लोमा स्तर पर उपरोक्त विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्रीडिप्लोमा स्तर का उपरोक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फौटल्ड्रूनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए।

या

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम उपरोक्त विषय में सातकोत्तर उपाधि के साथ प्रथम श्रेणी में गारमेंट टेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर उपरोक्त विषय में उद्योग/फौटल्ड्रूनिंग/शोध कार्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मानवता प्राप्ति विवरण/संस्था के प्रभाग शेण में स्वतंत्र उपाधि तथा क्रियान्वयन ऐक्यालंबी/कल्पना इत्यादियोग से ब्रह्मगमिति में प्रथम श्रेणी में होने वाली प्रथम श्रेणी,					
2. डिग्री/टिलाम लक्ष पर उपरान्त विषय में ४ वर्ष का अध्यापन अनुभव या ५ वर्ष के कुल अनुभव में दृष्टिनाम ५ वर्ष का डिग्री/टिलाम स्तर पर उत्तरान्त विषय के अन्याधि का अनुभव तथा योग अन्याधि का संवेदित विषय में उच्चालंबी/कल्पना स्तर पर ५ वर्ष में अनुभव होना चाहिए।	50 वर्ष	1. मानवता प्राप्ति विवरण/संस्था दे इष्टस्त्रियोग इष्टस्त्रियोग विषय में प्रथम श्रेणी में स्वतंत्रकोर्स उपरान्त विषय के साथ इष्टस्त्रियोग/स्त्रीलक्ष पर उत्तरान्त विषय के एवं इष्टमेटदेवन इष्टेन्टिविषय की शाखा में स्वतंत्रक उपाधि, और 2. डिग्री/टिलामा लक्ष पर ५ वर्ष का उपरान्त विषय में अध्यापन अनुभव या कुल ८ वर्ष के कुल अनुभव में ३ वर्ष का डिग्री/टिलामा लक्ष का उपरान्त विषय में सम्बोधन तथा शेष अन्याधि का संवेदित विषय में उच्चालंबी/कल्पना स्तर पर ५ वर्ष में अनुभव होना चाहिए।	1. मानवता प्राप्ति विवरण/संस्था दे इष्टस्त्रियोग इष्टस्त्रियोग विषय में प्रथम श्रेणी में स्वतंत्रक उपाधि, या मानवता प्राप्ति विवरण/संस्था दे प्रथम श्रेणी में स्वतंत्र उपाधि के साथ इष्टस्त्रियोग डेकोरेशन एवं विज्ञान विषय में प्रथम श्रेणी में न्यूतंत्रम दो वर्षाव विषय का अध्यापन अनुभव 2. डिग्री/टिलामा लक्ष पर ५ वर्ष का इष्टोरियर डेकोरेशन विषय का अध्यापन अनुभव या ८ वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूतंत्र ५ वर्ष का डिग्री/टिलामा लक्ष पर उत्तरान्त विषय के अध्यापन का अनुभव ३ वर्ष अनुभव का डिग्री/टिलामा लक्ष पर उच्चालंबी/कल्पना स्तर पर ५ वर्ष में से न्यूतंत्र ३ वर्ष अनुभव का डिग्री/टिलामा लक्ष पर उत्तरान्त विषय के अध्यापन का होना चाहिए तथा शेष अन्याधि का संवेदित विषय में प्राप्ति विवरण/संस्था से आर्किटेक्चर शाखा में इष्टांतियर डेकोरेशन विज्ञान विषय के साथ प्रथम श्रेणी में स्वतंत्रकोर्स उपाधि तथा साथ में आर्किटेक्चर श वा में इष्टोरियर डेकोरेशन विषय के साथ ब्रह्मगमिति उपाधि, और 2. डिग्री/टिलामा लक्ष पर ५ वर्ष का इष्टोरियर डेकोरेशन विषय का अध्यापन अनुभव या ८ वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूतंत्र ५ वर्ष अनुभव का डिग्री/टिलामा लक्ष पर उत्तरान्त विषय के अध्यापन का होना चाहिए तथा शेष अन्याधि का संवेदित विषय में प्राप्ति विवरण/संस्था से अनुभव होना चाहिए।		
3. विभागाध्यक्ष, इष्टस्त्रियोग (तकनीकी), एवं डिजाइन (नैर-तकनीकी),	उत्तरान्त एवं डिजाइन (नैर-तकनीकी),				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. विभागाधारा, मूलना प्रौद्योगिकी (तकनीकी).	50 वर्ष				
14. विभागाधारा, मनुषेकवचिरि उचितनियरिग (तकनीकी).	50 वर्ष				
15. विभागाधारा, मनुषेकत्तिवास (तकनीकी).	50 वर्ष				
16. विभागाधारा, चिकित्सा प्रयोगशाला (नियंत्रणी).	50 वर्ष				

मान्यता एवं इच्छापत्रिग ने उपर्युक्त विषय का अध्यापन अनुभव या कुल 5 वर्ष के कुल अनुभव में तीन वर्ष का अनुभव डिग्री/डिलोग स्तर पर उपरोक्त विषय में अध्यापन का है— चाहिए तथा शेष अवधि का संविधित विषय में उपरोक्त फॉलोइंग/शोध कार्य = अनुभव होना चाहिए।

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ने इसमें मनुषेकवचिरि/प्रोडक्ट्सन/रोबोटिक्स इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ मनुषेकवचिरि/इंडस्ट्रीयल/मैकेनिकल/प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि; और 2. डिग्री/डिलोग स्तर पर 3 वर्ष का संविधित विषय का अध्यापन अनुभव या कुल 5 वर्ष के कुल अनुभव में तीन वर्ष का अनुभव डिग्री/डिलोग स्तर पर उपरोक्त विषय में अध्यापन का है— चाहिए तथा शेष अवधि का संविधित विषय में उपरोक्त फॉलोइंग/शोध कार्य = अनुभव होना चाहिए।

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ने इसमें मनुषेकवचिरि/प्रोडक्ट्सन/रोबोटिक्स इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ मनुषेकवचिरि/इंडस्ट्रीयल/मैकेनिकल/प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि; और 2. डिग्री/डिलोग स्तर पर 3 वर्ष का प्रोडक्ट्सन/रोबोटिक्स/मैन्यूफैक्चरिंग/मैकेनिकल विषय, में अध्यापन अनुभव या कुल 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिलोग स्तर पर 3 वर्ष के कुल विषय में अध्यापन तथा शेष अवधि का संविधित विषय में उपरोक्त फॉलोइंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए।

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ने इसमें मनुषेकत्तिवास/प्रोडक्ट्सन/मनुषेकवचिरि/इंडस्ट्रीयल/मैकेनिकल/प्रौद्योगिकी/रोबोटिक्स/इंडस्ट्रीयल/तकनीकी विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा कुल 5 वर्ष के कुल अनुभव/आटोमेशन एवं रोबोटिक्स/मैन्यूफैक्चरिंग/मैकेनिकल/इंडस्ट्रीयल इसलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि; और 2. डिग्री/डिलोग स्तर पर 5 वर्ष का उपरोक्त विषय में अध्यापन अनुभव या कुल 5 वर्ष के कुल अनुभव में तीन वर्ष का डिग्री/डिलोग स्तर का संविधित विषय में अध्यापन तथा शेष अवधि का संविधित विषय में उपरोक्त फॉलोइंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए।

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ने इसमें विचिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ने तो वार्षी केमेस्ट्री या वेस्टर्नियोलॉजी में प्रथम श्रेणी (नियंत्रणी)।

(१)

(२)

(३)

(४)

३५५

- हिन्दू/गोडाकोपा स्तर पर ५ वर्ष का उम्रात्मक विषय में अध्ययन अनुभव के बारे के कुल अनुभव में न्यूनतम ५ वर्ष का हिन्दू/गोडाकोपा स्तर का अध्ययन अनुभव के बारे में अध्ययन तथा शोध अधिकारी का गतिविधि विषय में उम्रात्मक अनुभव के बारे में अनुभव होना चाहिए।

- मानवता प्राप्ति विद्यालय संसद्या के विकास विभाग से दिया गया दस्तावेज़;
- हिन्दू/गोडाकोपा स्तर पर ५ वर्ष का उम्रात्मक विषय में अध्यात्म अनुभव का कुल ५ वर्ष के कुल अनुभव में न्यूनतम २ वर्ष के गोडाकोपा के अध्यात्म अनुभव का संबंधित विषय में उम्रात्मक अनुभव के बारे में अनुभव होना चाहिए।

50 वर्ष

17. विभागाधीश,

मार्डन आौफिस
मैनेजमेंट
(गैर-कर्कनीकी),

- मानवता प्राप्ति विद्यालय संसद्या में विभिन्न विभागों में पैराईच हो; उपाधि; और
- हिन्दू/गोडाकोपा स्तर पर ५ वर्ष का मार्डन आौफिस मैनेजमेंट/मार्डन आौफिस एवं न्यूनतम ३ वर्ष के कुल ५ वर्ष के कुल अनुभव में न्यूनतम ३ वर्ष का हिन्दू/गोडाकोपा स्तर का मार्डन आौफिस मैनेजमेंट/मार्डन आौफिस प्रैक्टिस तंत्रकर्त्तावाल शैर्कर्स एवं एड टेक्नोगोलोजी/कामशिकाल प्रैक्टिस विषय में अध्यापन तथा शोध अधिकारी का संबंधित विषय में उम्रात्मक अनुभव होना चाहिए।

50 वर्ष

18. विभागाधीश,
रिफायनरी एंड
पेट्रोकेमिकल्स
(तकनीकी).

- मानवता प्राप्ति विद्यालय संसद्या से कंपनिकर्त्तावाल दैर्घ्यविषय इंजीनियरिंग प्रैक्टिस की होनी चाहिए; और
- हिन्दू/गोडाकोपा स्तर पर ५ वर्ष का अध्यापन अनुभव या कुल ५ वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम ३ वर्ष का डिप्रो/डिलोपा स्तर का उपरोक्त विषय में अध्यापन तथा शोध अधिकारी का संबंधित विषय में उग्रा/कॉर्सडर्टेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए।

50 वर्ष

19. विभागाधीश,
ओपरेशन विभाग
(फार्मसी)
(तकनीकी).

- मानवता प्राप्ति विद्यालय संसद्या से कौन सी वृन्तियां उपाधि के साथ प्रदान होंगी में एम. फॉर्म्सी; और
- हिन्दू/गोडाकोपा स्तर पर उपरोक्त विषय में ५ वर्ष का अध्यापन अनुभव या ५ वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम ३ वर्ष का डिप्रो/डिलोपा स्तर का उपरोक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शोध अधिकारी का संबंधित विषय में उग्रा/फॉर्म्सी/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए।

50 वर्ष

2

(6)	(2)	(3)	(4)	(5)
20. विभागाध्यक्ष, मुद्रण प्रैत्यानिकी (तकनीकी),	-	50 दर्श	50 दर्श	1. मान्यता प्राप्त संस्था/एडिल/विश्वविद्यालय से मुद्रण प्रैत्यानिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि; और 2. डिग्री/डिलोमा स्तर पर उपरोक्त विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 8 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिलोमा स्तर का उपरोक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में डिग्री/फैसिलिटेटिंग/शोध कार्य में संनुचित तरह का अनुभव होना चाहिए।
21. विभागाध्यक्ष, ट्रैफिकरेफर एड एयकार्डिटिंग (तकनीकी),	-	50 वर्ष	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से ऐक्सामिनेशन से रोकीज़रेशन एवं एवरकंट्रोलिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ मैनेजमेंटिकल इन्जीनियरिंग में स्नातक उपाधि; और 2. डिग्री/डिलोमा स्तर पर 5 वर्ष का संवर्धित विषय का अध्यापन अनुभव या कुल 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव डिग्री/डिलोमा स्तर का उपरोक्त विषय में अध्यापन का होना चाहिए तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उदाया/फॉलड/ट्रैनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए।
22. विभागाध्यक्ष, ट्रैफिकरेफर एड एयकार्डिटिंग (तकनीकी),	-	50 वर्ष	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से ऐक्सामिनेशन/ट्रैक्टोरोलोजी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि; और 2. डिग्री/डिलोमा स्तर पर उपरोक्त विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिलोमा स्तर का उपरोक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में डिग्री/फैसिलिटेटिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए।
23. विभागाध्यक्ष, ट्रैफिकरेफर एड एयकार्डिटिंग (तकनीकी),	-	50 वर्ष	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से ऐक्सामिनेशन के मैस्ट्री विषय में प्रथम श्रेणी में एम.एस.सी.; और 2. डिग्री/डिलोमा स्तर पर उपरोक्त विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिलोमा स्तर का उपरोक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में डिग्री/फैसिलिटेटिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए।

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

मानवसंकाल तथा विद्युत संसाधन से कामया होना। इनका लाभ उपर्युक्त इसी निर्दर्शन एवं विद्युत संसाधनों की प्रयोग से मानव उपर्युक्त उपरोक्त कामया के लाभ अनुभव करता है। इनका लाभ उपर्युक्त उपरोक्त कामया के लाभ अनुभव करता है।

कामया के लिये इनका लाभ उपर्युक्त उपरोक्त कामया के लाभ अनुभव करता है। इनका लाभ उपर्युक्त उपरोक्त कामया के लाभ अनुभव करता है। इनका लाभ उपर्युक्त उपरोक्त कामया के लाभ अनुभव करता है।

1. मानवा प्रात् तिरबोक्तात्यासेस्था से लरत टेक्नोलॉजी/इलेक्ट्रोनिक्स में स्नातक उपाधि; और
में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि; और
2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर त्र ५ वर्ष का संबोधित विषय वा अन्यान्य डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपरोक्त
५ वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम ३ वर्ष का अनुभव डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपरोक्त
विषय में उपरोक्त का होना चाहिए तथा रोप अधिक का संबोधित विषय में उपरोक्त
फैटड/ट्रैनिंग/रोप कानून में अनुभव होना चाहिए।

24. विभागाध्यक्ष,

रुरत इंजीनियरिंग
(पैर तकनीकी)।

50 वर्ष

1. मानवा प्रात् तिरबोक्तात्यासेस्था से लरत टेक्नोलॉजी/इलेक्ट्रोनिक्स में स्नातक उपाधि; और
में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि; और
2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर त्रेवेंशित विषय में ५ वर्ष का अध्यापन अनुभव या कुल ५
वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम ३ वर्ष डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपरोक्त विषय
में अध्यापन का अनुभव तथा रोप अधिक का संबोधित विषय में उपरोक्त फैटड/ट्रैनिंग/
रोप कार्यालयीण विषय कानून में अनुभव होना चाहिए।

25. विभागाध्यक्ष,

रुरत इंजीनियरिंग
(पैर तकनीकी).

50 वर्ष

1. मानवा प्रात् तिरबोक्तात्यासेस्था से आकिंटेक्निकल्यासिंग इन अनु डिजाइनर/अर्केन
डिविलिंग/अर्केन एंड लीजनल ल्यासिंग/एनवाइरोनेटल ल्यासिंग/अर्केन एंड ल्यासिंग
आकिंटेक्निकल ल्यासिंग/ट्रैनिंग/सिस्टो ल्यासिंग में प्रयोग श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि;
(तकनीकी).
के साथ आकिंटेक्निकल ल्यासिंग/सिस्टो ल्यासिंग में प्रयोग श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि;
मानवता प्रदान की हो) में स्नातक उपाधि; और
2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर त्रेवेंशित विषय में ५ वर्ष का अध्यापन अनुभव या कुल ५
वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम ३ वर्ष डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपरोक्त विषय
में अध्यापन का अनुभव तथा रोप अधिक का संबोधित विषय में उपरोक्त फैटड/ट्रैनिंग/
रोप कार्यालयीण विषय कानून में अनुभव होना चाहिए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
26. विभागाध्यक्ष, रख-रखाव प्रकोष्ठ (तकनीकी).	50 वर्ष	50 वर्ष	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयसंस्था से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/तकनीशियन शिक्षा की अनुभव शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा साथ में मैकेनिकल/इलेक्ट्रिक्सइलेक्ट्रॉनिक्सइलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बुनियादी उपाधि; और 2. डिग्रीडिलोमा स्तर पर उपयुक्त विषय में 5 वर्ष का अध्ययन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्रीडिलोमा स्तर का उपयुक्त विषय में अध्ययन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फैल्डट्रेनिंग।	शोध कार्य में सम्मुचित स्तर का अनुभव होना चाहिए।	
27. विभागाध्यक्ष, एन्टार्ड-नियूडियोग्राफी (गेर-तकनीकी).	50 वर्ष	50 वर्ष	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयसंस्था से भौतिक शास्त्र/रसायन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि; या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयसंस्था से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में उपाधि; और 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयसंस्था से एलाइंड विडियोग्राफ़े/फोटोग्राफ़ो में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षाधि की पत्रोपाधि के साथ आठ वर्ष का अध्ययन तथा/या व्यावसायिक अनुभव।		
28. कम्प्यूटर अध्येत्यक्ष, (तकनीकी).	50 वर्ष	50 वर्ष	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयसंस्था से मैकेनिकल/इंडस्ट्रीयल/प्रौद्योगिक्य/सैक्यानन्दन्युक्तक्वारी इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा साथ में इंजीनियरिंग को उपयुक्त शाखा में बुनियादी उपाधि; और 2. डिग्री/डिलोमा स्तर पर उपयुक्त विषय में 5 वर्ष का अध्ययन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिलोमा स्तर का उपयुक्त विषय में अध्ययन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फैल्डट्रेनिंग।	शोध कार्य में सम्मुचित स्तर का अनुभव होना चाहिए।	
29. तेच विरलेपक, (निस्ट्रम एन्जिनियरिंग, ग्रेड-1).	50 वर्ष	50 वर्ष	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयसंस्था से कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर टेक्नालॉजी/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर टेक्नालॉजी/सूचना प्रौद्योगिकी में बुनियादी स्नातक उपाधि या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयसंस्था से कम्प्यूटर उपग्रेजन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ पीएच.डी.; और 2. सासकोप/अर्थात् साक्षीपता/वर्तनिक उपक्रमसंगठन के कम्प्यूटर केंद्रों में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. व्यापारिका, विद्युत उत्पादन को (रोट-टक्करी-कॉर्पोरेशन),	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में मानविकेन्विज्ञान को समर्पित निम्न विषयों के लिये शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।	लाइन:- 1. फैलिक सैस्टम/ इंजीनियरिंग रसायन 2. रसायन शास्त्र/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड के साथ मानविकेन्विज्ञान को समुक्ति शाखा में न्यूतम 55% अंकों के सहित स्नातकोत्तर उपाधि तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सीएसआईआर द्वारा अंगोचित नेट (National Eligibility Test) या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	1. फैलिक सैस्टम/ इंजीनियरिंग रसायन 2. रसायन शास्त्र/ 3. दार्शन 4. अंग्रेजी 5. डू-विज्ञान 6. बहस्त्रित विज्ञान।
34. व्यापारिका, छायाँ करने वाले कार्गन्डन को (गोर-गोल्डन कॉर्पोरेशन),	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि।	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से मैकेनिकल/कैमिकल इंजीनियरिंग/ग्रीडोगिको शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड संस्था से अंटीशियर/क्लूटी कॉलेज/काल्पनेटोलॉजी में प्रथम श्रेणी में न्यूतम दो वर्षांच प्रोफायरी (डिलोना); और 3. अंटीशियर/क्लूटी कॉलेज/काल्पनेटोलॉजी के क्षेत्र में 2 वर्ष का सैक्षणिक अध्ययन व्यावसायिक अनुभव।	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से मैकेनिकल/कैमिकल इंजीनियरिंग/ग्रीडोगिको शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि। वांछनीय—सैमेन्ट टेक्नालॉजी में स्नातकोत्तर प्रोफायर।
35. व्यापारिका, सीनेन्ट टेक्नालॉजी (तक्करी-कॉर्पोरेशन),	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग/काल्पना टेक्नालॉजी/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि।	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग/काल्पना टेक्नालॉजी/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि।	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वस्त्र तथा परिधान निर्माण में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.एच.एस.सी.)।
36. व्यापारिका, कम्प्यूटर टेक्नालॉजी इंजीनियरिंग,	21 वर्ष	35 वर्ष	(विवरण संक्षिप्त)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था को किसी भी नियम में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि तथा वेशभूषा अधिकत्तन तथा परिधान निर्माण में प्रथम श्रेणी में नूतनतम दो वर्षांच प्रोफायर।	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था को किसी भी नियम में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि तथा वेशभूषा अधिकत्तन तथा परिधान निर्माण में प्रथम श्रेणी में नूतनतम दो वर्षांच प्रोफायर।
37. व्यापारिका, कैमिकल इंजीनियरिंग तथा कैमिकल इंजीनियरिंग	21 वर्ष	35 वर्ष	(विवरण संक्षिप्त)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वस्त्र तथा परिधान निर्माण में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.एच.एस.सी.)।	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था को किसी भी नियम में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि तथा वेशभूषा अधिकत्तन तथा परिधान निर्माण में प्रथम श्रेणी में नूतनतम दो वर्षांच प्रोफायर।
38. व्यापारिका, फृड टेक्नालॉजी (गोर-गोल्डन कॉर्पोरेशन),	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से फृड टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि।	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से फृड टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि।	

(26)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

39. व्याख्याता,
गारमेन्ट टेक्नोलॉजी
(गर-तकनीकी).

21 वर्ष
35 वर्ष

स्नातक
उपाधि

मान्यता प्राप्त किंवदन्तीयारपरंस्था से दृष्टिकोण से विवरण 6 अक्टूबर 2003
या
मान्यता प्राप्त किंवदन्तीयारपरंस्था से दृष्टिकोण से कर्मचारीगतमें टेक्नोलॉजी विवरण
एम.एम्सी.

या
मान्यता प्राप्त किंवदन्तीयारपरंस्था से दृष्टिकोण से कर्मचारीगतमें टेक्नोलॉजी विवरण
पर्याप्ति के सभी शैक्षणिक शैक्षणिक उपाधि.

या
मान्यता प्राप्त किंवदन्तीयारपरंस्था से प्रथम शैक्षणिक शैक्षणिक उपाधि तथा कृतिगतिहास
टेक्नोलॉजी/कॉम्प्युटर/इंजीनियरिंग/प्रॉजेक्ट डेवलपमें भागीदार प्राप्त किंवदन्तीयारपरंस्था
संस्था से तीन वर्ष उपाधि; और

2. दो वर्ष का दृष्टिकोण से विषय में उदायाचालडग्राहियमें अनुभव हासिल किया है।
स्नातक उपाधि.

40. व्याख्याता,
इंडस्ट्रीयल इलेक्ट्रॉनिक्स
(तकनीकी).

21 वर्ष

35 वर्ष

मान्यता प्राप्त किंवदन्तीयारपरंस्था से इंडस्ट्रीनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंजीनियरिंग/प्रॉफेशनल की शाल में प्राप्त किया है।
स्नातक उपाधि.

41. व्याख्याता,
इंटरियर डेकोरेशन
एवं डिजाइन
(गर-तकनीकी).

21 वर्ष

35 वर्ष

मान्यता प्राप्त किंवदन्तीयारपरंस्था से दृष्टिकोण से इंटीरियर डेकोरेशन एवं डिजाइन
में प्रथम शैक्षणिक उपाधि,

1. मान्यता प्राप्त किंवदन्तीयारपरंस्था से प्रथम शैक्षणिक उपाधि के साथ इंटीरियर
डेकोरेशन एवं डिजाइन विषय में प्रथम शैक्षणिक उपाधि उपाधि, और
2. दो वर्ष का अनुबन्ध उपाधि का अनुभव

या
भाग्यता प्राप्त किंवदन्तीयारपरंस्था से आकॉटेक्चर शाखा में इंटीरियर डेकोरेशन के
साथ प्रथम शैक्षणिक उपाधि।

मान्यता प्राप्त किंवदन्तीयारपरंस्था से हृष्णा प्रौद्योगिकी/काम्प्यूटर टेक्नोलॉजी/कृषीकृष्ण
साइंस एवं इंजीनियरिंग में प्रथम शैक्षणिक उपाधि।

42. व्याख्याता,
सूखना प्रौद्योगिकी
(तकनीकी).

21 वर्ष
35 वर्ष

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43. उत्तराखण्ड, नेतृत्वात्मक संस्था (तंत्रज्ञानकों),	उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड (संस्थानीय),	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से भैन्टफैक्चरिंग/इंडस्ट्रीजल/मैकेनिकल/प्रोडक्शन-	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से भैन्टफैक्चरिंग/इंडस्ट्रीजल/मैकेनिकल/प्रोडक्शन-
44. उत्तराखण्ड,	उत्तराखण्ड,	21 वर्ष	35 वर्ष	मैकेनिकल/इंडस्ट्रीजल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग/प्रैद्योगिकी में प्रथम' ब्रेणी में स्नातक उपाधि,	मैकेनिकल/इंडस्ट्रीजल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग/प्रैद्योगिकी में प्रथम' ब्रेणी में स्नातक उपाधि,
45. उत्तराखण्ड,	उत्तराखण्ड, प्रैद्योगिकी	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से विभिन्न प्रयोगशाला प्रैद्योगिकी में प्रथम' ब्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि,	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से विभिन्न प्रयोगशाला प्रैद्योगिकी में प्रथम' ब्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि,
46. उत्तराखण्ड,	उत्तराखण्ड, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग/संस्था (गैर-तंत्रज्ञानकों),	21 वर्ष	35 वर्ष	भान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम' ब्रेणी में एम. बी. एम. के साथ एक वर्ष का व्यावसायिक अनुभव,	भान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वाणिज्य में प्रथम' ब्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि-वांछनीय—मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था के कम्प्यूटर उपयोजन में चूनतम एक वर्षाय प्रौद्योगिकी/स्नातकोत्तर प्रौद्योगिकी.
47. उत्तराखण्ड,	उत्तराखण्ड, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग/संस्था (गैर-तंत्रज्ञानकों),	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वाणिज्य में प्रथम' ब्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ मार्डन ऑफिस फैक्टरी/मॉर्डन ऑफिस प्रैक्टिस रेक्रिएटरीयल श्रीवित्स एंड स्टेनोग्राफी/कामरिंग/इंजीनियरिंग/संस्था के कम्प्यूटर उपयोजन में चूनतम एक वर्षाय प्रौद्योगिकी/स्नातकोत्तर प्रौद्योगिकी.	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वाणिज्य में प्रथम' ब्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि-वांछनीय—मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर उपयोजन में चूनतम एक वर्षाय प्रौद्योगिकी/स्नातकोत्तर प्रौद्योगिकी.
48. उत्तराखण्ड,	उत्तराखण्ड, रिकायर्सों एंड डिस्ट्रीब्युटिंग/संस्था (तंत्रज्ञानकों),	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कैमिकल/प्रैद्योगिकी/प्रैटोलियम इंजीनियरिंग/प्रैद्योगिकी विषय में प्रथम' ब्रेणी में स्नातक उपाधि,	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कैमिकल/प्रैद्योगिकी/प्रैटोलियम इंजीनियरिंग/प्रैद्योगिकी विषय में प्रथम' ब्रेणी में स्नातक उपाधि,

21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था में उपयोग के साथ तीन वर्ष का अनुभव।
49. व्याख्याता, औपचारिक (फार्मसी)।	21 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था में उपयोग के साथ तीन वर्ष का अनुभव।
50. व्याख्याता, एलास्टिक टेब्नार्टीजी (तकरीकी)।	21 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था में उपयोग के साथ तीन वर्ष का अनुभव।
51. व्याख्याता, मुद्रण प्रोटोटाइपिको (तकरीकी)।	21 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था में उपयोग के साथ तीन वर्ष का अनुभव।
52. व्याख्याता, ऐओजेरेशन एण्ड एयरकंडीशनिंग (तकरीकी)।	21 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था में उपयोग के साथ तीन वर्ष का अनुभव।
53. व्याख्याता, ईक्सट्राइल डिजाइन (गैर-तकरीकी)।	21 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था में उपयोग के साथ तीन वर्ष का अनुभव।
54. व्याख्याता, कम्प्यूटर एलोकेशन (गैर-तकरीकी)।	21 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था में उपयोग के साथ तीन वर्ष का अनुभव।

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
55. व्याख्याता, कृष्ण इंडियन्स (गर-तकनीकी),	21 वर्ष (गर-तकनीकी),	35 वर्ष मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से लगत है - नियोगीनियोगी विद्यालय में प्रयोग क्रेपी में स्नातक उपाधि.	या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से लगत है - नियोगीनियोगी विद्यालय में प्रदान की में स्नातकोत्तर उपाधि/स्नातकोत्तर प्रोफेशनल एजेंसी में स्नातकोत्तर उपाधि.	उपाधि.
56. व्याख्याता, दायन लाइन्स ग्रुप (गर-तकनीकी).	21 वर्ष (गर-तकनीकी),	35 वर्ष मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से लगत है - अध्ययन समिक्षा (ट्रिनिंग कार्यालय आर्किटेक्चर ने मान्यता प्रदान की है) में स्नातक उपाधि.	या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से लगत है - अध्ययन समिक्षा (ट्रिनिंग कार्यालय आर्किटेक्चर ने मान्यता प्रदान की है) में स्नातक उपाधि.	उपाधि.
57. व्याख्याता, एलाइंड लीडिंग्स प्राइम (गर-तकनीकी),	21 वर्ष (गर-तकनीकी),	35 वर्ष मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से लगत है - नियोगीनियोगी विद्यालय में प्रयोग क्रेपी में स्नातकोत्तर उपाधि,	या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से लगत है - नियोगीनियोगी विद्यालय में प्रयोग क्रेपी में स्नातकोत्तर उपाधि,	उपाधि.
58. व्याख्याता, तोडियो उत्पादन (गर-तकनीकी),	21 वर्ष (गर-तकनीकी),	35 वर्ष मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से हिस्ट्री एंड बी में प्रयोग क्रेपी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ एलाइंड लीडिंग्स प्राइम/ट्रिनिंग में प्रयोग क्रेपी में स्नातकोत्तर उपाधि.	या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से जनसंचयन नियांण में प्रदान क्रेपी में स्नातकोत्तर उपाधि; और 2. किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था में नियोगीनियोगी के रूप में अनुभव.	या दो वर्ष का अनुभव दूरदर्शन नियांण में या ट्रिनिंग में या उत्तराधिकारी अनुभव.

(5)

(1) (2) (3) (4) (5)

59. व्याख्याता,
चलत-चिकित्सी
(प्रतिनिधि-कर्त्ता)
(गैर-हस्तकर्त्ता),
- 21 वर्ष 35 वर्ष
वर्ष
1. मानवता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि; और,
2. किसी भी मानवता प्राप्त संस्था हो किलम निर्दरात/चल-चिकित्सा/एसडॉइड/बीडियोग्राफी
में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षावधि प्राप्ताधि.
- टिप्पणी—ऐसे अध्ययनों को अधिमान दिया जाएगा जिनके पात्र किलम निर्दरात/
चल-चिकित्सी का अनुभव हो।

60. व्याख्याता,
बीडियो-टेक्नोलॉजी
(गैर-हस्तकर्त्ता),
- 21 वर्ष 35 वर्ष
वर्ष
1. मानवता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से हस्तेक्षणिकम में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि.
या
मानवता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से हस्तेक्षणिकम में चिरंप्रजाता के नाम भौतिक
शास्त्र में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि; और,
2. किसी भी दूसररान स्ट्रिडियो-मनिरेशन या बीडियो-तर्थी आडियो उपकरणोंके संउत्तराय
का दो वर्ष का अनुभव.
- मानवता प्राप्त विश्वविद्यालय/संडल/संस्था से हस्तेक्षणिकम में प्रथम श्रेणी में उपाधि
तथा किसी प्रतिद्वत टी.कॉ./बीडियो स्ट्रिडियो में दो वर्ष के कार्य का अनुभव.
या
किसी मानवता प्राप्त विश्वविद्यालय/संडल/संस्था से चलतीचल-एसडॉइड/बीडियोग्राफी
में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षावधि प्राप्ताधि और सम्पादन/ध्वनि अभिलेखन में
प्रयोगकरता तथा साथ में लेन वर्षों का व्यावहारिक अनुभव.

61. व्याख्याता,
दीर्घार्डस्ट
(गैर-हस्तकर्त्ता),
- 21 वर्ष 35 वर्ष
वर्ष
- मानवता प्राप्त विश्वविद्यालय/संडल/संस्था से हस्तेक्षणिकम में प्रथम श्रेणी में उपाधि
तथा किसी मानवता प्राप्त विश्वविद्यालय/संडल/संस्था से आलेखक/निर्देशक/अधिनेता/निर्माता
में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षावधि और साथ ही किसी प्रतिचिह्नित
संस्था में आलेखक/निर्देशक/अधिनेता/निर्माता के रूप में कार्य करने का दो वर्षों का
अनुभव.

62. अंतेक्षण,
(गैर-हस्तकर्त्ता),
- 21 वर्ष 35 वर्ष
वर्ष
1. मानवता प्राप्त विश्वविद्यालय/संडल/संस्था से हिन्दी/अंग्रेजी भें प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर
उपाधि; और
2. किसी मानवता प्राप्त विश्वविद्यालय/संडल/संस्था से आलेखक/निर्देशक/अधिनेता/निर्माता
(प्रोडक्शन) में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षावधि और साथ ही किसी प्रतिचिह्नित
संस्था में आलेखक/निर्देशक/अधिनेता/निर्माता के रूप में कार्य करने का दो वर्षों का
अनुभव.
- या
किसी मानवता प्राप्त संस्था संस्थाविद्यालय से किलमांकन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर
उपाधि और ताथ में विसी प्रतिचिह्नित संस्था में आलेखक/निर्देशक/अधिनेता/निर्माता
के रूप में कार्य करने का दो वर्षों का अनुभव.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
62. वैभिडीयोग्रामन्, (गैर-लकड़ीकी).	21 वर्ष 35 वर्ष			मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मंडल/संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि के लिए वैभिडीयोग्रामन् (प्रोडक्शन)।एल्टाइट वौडिडॉन वैभम श्रेणी में व्यवस्था दो वर्षीय प्रोग्राम।	
63. वैभिडीयोग्रामन्, (गैर-लकड़ीकी).	21 वर्ष 35 वर्ष			मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मंडल/संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि के लिए वैभिडीयोग्रामन् (प्रोडक्शन)।एल्टाइट वौडिडॉन वैभम श्रेणी में व्यवस्था दो वर्षीय प्रोग्राम।	
64. कैमरामैन, (गैर-लकड़ीकी).	21 वर्ष 35 वर्ष			मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मंडल/संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि के लिए वैभिडीयोग्रामन् (प्रोडक्शन)।एल्टाइट वौडिडॉन वैभम श्रेणी में व्यवस्था दो वर्षीय प्रोग्राम।	
65. कृतिकार, (गैर-लकड़ीकी).	21 वर्ष 35 वर्ष			मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मंडल/संस्था से अनुप्रुच्छ करने के लिए विशेषज्ञता विकारी में प्रथम श्रेणी में लिखित एवं अनुप्रुच्छ कला में पदवी।	
66. सहायक कर्मशाला अधीक्षक.	21 वर्ष 35 वर्ष			मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से भैंकेनिकल/प्रोडक्शन वैभम व्यवस्था इंजीनियरिंग क्रोधोगिको में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि।	
67. तंत्र विश्लेषक (सिस्टम एनालिस्ट, श्रेणी-2).	21 वर्ष 35 वर्ष			1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कर्मशाला साइंस एवं टेक्नोलॉजी/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि के लिए टेक्नोलॉजी/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि। 2. शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम/संगठन के कानून के लिए में कार्य विवर।	

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

68. तंत्र विश्लेषक
(सिस्टम एनालिस्ट,
ब्रेयो-3).

69. कारबोर्मरक
(प्रोग्रामर).

70. संधारण

21 वर्ष

35 वर्ष

21 वर्ष

35 वर्ष

71. शारीरिक व्यायाम
प्रशिक्षक.

21 वर्ष

35 वर्ष

21 वर्ष

35 वर्ष

मानवता प्राप्त विश्वविद्यालयसंस्था दो कालांडर याइन लै डिस्ट्रिब्युटर
टेक्निकल्जी इंजिनीयरों को में प्रथम श्रेणी में स्नातक होने वाले
या

मानवता प्राप्त विश्वविद्यालयसंस्था से स्नातक उपाधि के द्वारा डिस्ट्रिब्युटर
इंजिनीयर/इंजिनीयरों में प्रथम श्रेणी में स्नातक होने वाले

मानवता प्राप्त विश्वविद्यालयसंस्था से स्नातक उपाधि के द्वारा डिस्ट्रिब्युटर
इंजिनीयर/इंजिनीयरों में प्रथम श्रेणी में स्नातक होने वाले

मानवता प्राप्त विश्वविद्यालयसंस्था से स्नातक उपाधि के द्वारा डिस्ट्रिब्युटर
इंजिनीयर/इंजिनीयरों में प्रथम श्रेणी में स्नातक होने वाले

मानवता प्राप्त विश्वविद्यालयसंस्था से स्नातक उपाधि के द्वारा डिस्ट्रिब्युटर
इंजिनीयर/इंजिनीयरों में प्रथम श्रेणी में स्नातक होने वाले

1. मन्त्रिता प्राप्त विश्वविद्यालयसंस्था से कालांडर उपाधिकार में स्नातक
डिस्ट्रिब्युटर के साथ किसी भी इंजिनीयरिंग इंजिनियर में गुनिलाल होने वाले
2. सातकोंवार्षिकशासकोंवार्षिकीनिक उपाधि/सोलेटर के कालांडर में स्नातक
का 2 वर्ष का अनुभव.

70. संधारण

21 वर्ष

35 वर्ष

21 वर्ष

35 वर्ष

1. इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आवोग या अन्य संस्थान
राष्ट्रीय स्तर की पार्सी में आहेत होना चाहिए.

2. पुस्तकालय विग्रहकालय/संस्कार में कम से कम 55 अंकांडे के बांधां सहित
स्नातकोंतर उपाधि अथवा उसके समतुल्य व्यावसायिक उपाधि या संस्कार
सी.जी.पी.ए एवं निरन्तर अच्छा अकादमिक रिकार्ड, पुस्तकालय के जनरलरांगकरण
का अनुभव.

1. शारीरिक शिक्षा में स्नातकोंतर उपाधि (दो वर्ष का पाठ्यक्रम) को दृढ़ उल्लङ्घन
(स्पोर्ट्स) में स्नातकोंतर उपाधि या उसके समतुल्य उपाधि, कान ने दृढ़ 55 प्रातिशत
अंकों सहित अथवा उसके समतुल्य सी.जी.पी.ए और निरन्तर अच्छा अकादमिक
रिकार्ड;

2. अंतर-विश्वविद्यालय, उत्तर-महाविद्यालय प्राचीयोगिताओंमेंविश्वविद्यालय
का अध्ययन पाष्ठों वैज्ञानिकीय में उत्तम कार्यालय के द्वारा दृष्टि देना विद्यालय
का अध्ययन पाष्ठों वैज्ञानिकीय में उत्तम कार्यालय के द्वारा दृष्टि देना
3. शारीरिक उपाधि अनुदान आवोग द्वारा या उसके द्वारा अनुमोदित अन्य नेत्रों द्वारा
संचालित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में आहेत होना चाहिए.

No. F-1-LIX-2003-13-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Madhya Pradesh Society Registrarian Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973), the State Government hereby makes the following rules relating to recruitment and other conditions of service of Madhya Pradesh Technical Education Polytechnic College (Teaching Cadre) Services, namely :—

RULES

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Technical Education Polytechnic College (Teaching Cadre) Service (Recruitment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "AICTE" means the All India Council for Technical Education established under the All India Council for Technical Education Act, 1987 (No. 52 of 1987);
- (b) "Appointing Authority" in respect of the persons who, at the commencement of these rules are holding substantively the posts mentioned in Column (3) to (7) of Schedule II means the Government and in respect of the posts shown in Column (8) to (12) of Schedule II as transferred to the Society/Institute, means the Board of Governors of the Society/Prabandhan Samiti of the institute;
- (c) "Board of Governors" means the Board of Governors of the Society;
- (d) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (e) "Institute" means Polytechnic College whose management is vested in the Prabandhan Samiti *vide* State Government Notification No. F. 49-42-1-2001, dated 12th July 2001;
- (f) "Other Backward Classes" means other backward classes of citizens as specified by the State Government in their Notification No. F. 8-5-25-4-84 dated 26th December 1984 as amended from time to time;
- (g) "Prabandhan Samiti" means the Prabandhan Samiti of the Polytechnic College registered under the Madhya Pradesh Society Registrarian Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973);
- (h) "Schedule" means the various Schedules mentioned in these Rules;
- (i) "Scheduled Caste" means any caste, race or tribe or part or a group within a caste, race or tribe specified as scheduled caste with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;
- (j) "Scheduled Tribe" means any tribe or tribal community or part or group within a tribe or tribal community specified as schedule tribe with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;
- (k) "Selection Committee" means the Selection Committee mentioned in Schedule III;
- (l) "Service" means Madhya Pradesh Technical Education Polytechnic College (Teaching Cadre) Service;
- (m) "Society" means the Society of the Polytechnic college as registered under the Madhya Pradesh Society Registrarian Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).

3. Scope and Application.—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. Constitution of the Service.—The Service shall consist of the following persons, namely :—

- (a) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule II shall constitute a Dying Cadre;
- (b) Persons recruited to the Service before commencement of these rules; and
- (c) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, Scale of Pay etc.—The classification of the Service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the Service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I: Provided that the posts relinquished by the Government servant on retirement, resignation, death etc. shall be transferred to the Society/Prabandhan Samiti of the Polytechnic College.

6. Method of Recruitment.—(1) Recruitment to the Service after commencement of these Rules shall be made by selection through direct recruitment,

(2) The number of persons recruited under sub-rule (1) shall not, at any time, exceed the percentage of posts shown in Schedule III of the duty posts as specified in Schedule I,

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Society/Prabandhan Samiti, the exigencies of the Service so required, the Society/Prabandhan Samiti may with prior concurrence of the Government, adopt such other methods of recruitment to the Service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. Appointment to the Service.—The Appointing Authority shall make all appointments to the Service after the commencement of these Rules and such appointments shall not be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitment.—In order to be eligible to compete at the selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :—

- (i) Age.—(a) (i) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule IV and not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule, on the first day of January, next following the date of commencement of the examination/selection.
- (ii) No candidate who has married before the minimum age fixed for marriage shall be eligible for appointment to a service or post.
- (iii) No candidate who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th January, 2001, shall be eligible for appointment to a service or posts.
- (b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other Backward Classes.
- (c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or who have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the condition specified below :—

A candidate who is a retrenched Government servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government Service of his State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

- (d) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term "ex-serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service :—

- (1) Ex-serviceman released under mustering out concessions;
 - (2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on (a) Completion of short term engagement; and (b) fulfilling the conditions of enrolment;
 - (3) Ex-employees of Madras Civil Unit;
 - (4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers);
 - (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
 - (6) Ex-servicemen who are removed from service due to disability;
 - (7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
 - (8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account to gunshot, wounds, etc.
- (c) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 10 years for women candidates in accordance with the provision of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions of Appointment of Women) Rules, 1997;
 - (f) The upper age limit shall be relaxable up to 38 years of age in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State Corporation/Boards.
 - (g) The General upper age limit shall be 55 years in respect of widow, destitute, and divorced women candidates.
 - (h) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 2 years for those candidates who are Green Card holders under the Family Welfare Programme.
 - (i) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of a Savarna Partner who has been awarded under the Inter Caste Marriage incentive scheme of the Tribal, Harijan and Backward Classes Welfare Department.
 - (j) The general upper age limit shall also be relaxable up to 5 years in respect of "Vikram Award" holder candidates.
 - (k) The upper age limit shall be relaxable in the case of voluntary Home Guards and non-commissioned officers of Home Guards for the period of service rendered by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note.—Departmental candidates must obtain previous permissions of the appointing authority to appear for the examination/selection.

(2) **Educational Qualifications**—He must possess such educational qualifications as prescribed for the service in Schedule IV.

(3) **Fees.**—He must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification.**—Any attempt on the part of the candidate to obtain support for his candidature by means shall disqualify him for selection.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of the candidate shall be final.**—The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection/examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed to appear in the examination and/or interview.

11. **Direct recruitment by Selection.**—(1) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, from time to time, determine.

(2) Selection of candidates for the service shall be made by the Board of Governors/Prabandhan Samiti b the process of written examination and/or interview.

(3) Appointment to various posts specified in Schedule I shall be governed by the law or rules for reservation such as,—

(a) Posts shall be reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as per the provisions of Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jati, Anusuchit Janjati Aur Anya Pichcha Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994). Roster for this purpose shall maintained at the Institute level.

(b) Reservation for women candidates shall be applicable as per provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision of appointment of Women) Rules, 1997.

(c) Reservation for the physically challenged candidates shall be applicable as per instructions issued by the State Government.

12. **List of candidates recommended for appointment.**—(1) The Selection Committee shall forward to the Appointing Authority of the concerned Polytechnic College a list, arranged in order of merit of the candidates, who have qualified for a particular service/post by such standard, as the Appointing Authority may determine. The list of selected candidates shall also be published for general information.

(2) Selection Committee shall prepare separate lists of candidates belonging to various categories such as General, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes etc.

(3) Subject to the provisions of these Rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the selection list.

(4) Inclusion of a candidate's name in the list does not confer any right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable, respects for appointment to the Service.

(5) The select list shall be valid for a period of one year from the date of its approval by the Board of Governors/Prabandhan Samiti of the institute.

13. **Conditions of Services.**—(1) Every person recruited on initial posts such as Lecturer, Training Placement Officer (Grade-II), System Analyst (Grade-II & III), Librarian and Physical Training Instructor, Assistant Workshop Superintendent, Programmer etc. shown in Schedule III shall be appointed initially for a period of three years on contract. On completion of this period, performance of the candidate shall be reviewed by the Appointing Authority as per approval procedure as approved by the Government and, if found suitable, he shall be offered a regular appointment.

(2) The Society/Prabandhan Samiti shall be able to make regular appointment on probation for a period of two years on posts such as Head of the Department, Workshop Superintendent, Training and Placement Officer (Grade-I), System Analyst (Grade-I), and Principals etc. shown in Schedule II.

(3) Conduct of any person appointed under these Rules shall be governed by the Madhya Pradesh Services (Conduct) Rules, 1965, as amended from time to time.

(4) A person appointed under these Rules shall not be entitled to pension and other benefits relating thereto. However, persons who at the commencement of these rules are holding substantively the posts mentioned in Schedule II on selection to the higher posts, shall be entitled to pensionary benefits from the post from which they retire.

(5) Service of a person appointed under these Rules shall be terminated even before the expiry of the contract probation on one month notice from either side or one month pay in lieu thereof.

(6) A person appointed under these Rules shall be entitled to benefit of medical facilities and travelling allowance similar to those, to which the employees of the State Government in equivalent cadre are entitled.

(7) A person appointed under these Rules shall also be entitled to benefit of Contributory Provident Fund as decided by the State Government from time to time.

(8) A person appointed under these Rules, on contract shall be entitled to casual leave for 13 days and optional holidays for 3 days in a year but he shall not be entitled to any other kind of leave or vacation. Other persons appointed on regular basis shall be entitled to leave benefits as applicable to Government employees.

(9) A person appointed on contract/regular basis shall be entitled to incentives for possessing higher qualifications as per norms of the All India Council of Technical Education.

(10) Other conditions of service shall be such as may be specified in the order of his appointment.

14. Lien.—If a person who at the commencement of these rules is holding a post specified in column (3) to (7) of Schedule I in a substantive capacity shall be on deputation and if selected after the commencement of these Rules for a higher post in accordance with the provisions of these rules shall be permitted to retain lien on his substantive post for a maximum period of three years. Before completion of the period specified above the Appointing Authority of the institute in which he is serving will have to take a final decision about the absorption of the candidate.

15. Powers of the State Government to co-ordinate recruitment and cadre Management Policy.—The State Government shall have the right to issue the directives as and when necessary to the Society/Prabandhan Samiti for adhering to a common set of norms and procedures for the recruitment, selection and management of cadre of teachers under the rules across institutes.

16. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.

17. Relaxation.—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor of Madhya Pradesh to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner, as may appear to it just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to that person than that provided in these Rules.

18. Repeal and Saving.—All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these Rules:

Provided that any order made or action taken under the Rules so repealed, shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these Rules.

मध्यप्रदेश के प्रशासन के नाम से मध्य अधिकारी,

मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, अध्यक्ष

SCHEDULE-I
(See rule-5)

Part I : Government Polytechnic Colleges and Polytechnic Colleges declared autonomous by the State Government (except Women Polytechnic Colleges)

S. No.	Name of the Post (1)	Name of the Post (2)	Sanctioned Posts (3)	Classification (4)												Pay Status (5)	Remarks (6)	
				Class-I	Class-II	Class-III	Class-IV	Class-V	Class-VI	Class-VII	Class-VIII	Class-VIX	Class-X	Class-XI	Class-XII			
1	Principal		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16-100-20000/- (A.I.C.E.)
2	Head of Department:		1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
3	Civil Engg.		1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
4	Mechanical Engg.		1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
5	Electrical Engg.		1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
6	Electronics and Tele-communication Engg.		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
7	Automobile Engg.		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
8	Town Planning and Architecture.		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
9	Pharmacy		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
10	Production Engg.		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
11	Computer Applications		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
12	Armored Videography		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
13	Maintenance Coll.		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
14	Armored Mechanics		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
15	Chemical Engg.		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
16	Textile Technology		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
17	Printing Technology		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
18	Crms. Science and Engg.		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
19	Refinery & Petrochemicals		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
20	Industrial Electronics		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
21	Microelectronics		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
22	Manufacturing Engineering		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
23	Information Technology		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
24	System Analyst- Graduate		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
25	Workshop Superintendent		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
26	Deputy Director LRDC		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
27	Training & Placement Officer- Graduate		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
28	Refrigeration & Air Conditioning		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
29	Surveying		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
30	Steel Surveying		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
31	Rural Engg.		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)
32	Concrete Technology		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000-18300/- (A.I.C.E.)

Part-I : Government Polytechnic Colleges and Polytechnic Colleges declared autonomous by the State Government (except Vidyaan Polytechnic College)

S. No.	Name of the Post	Sanctioned Posts (2)	Classification (4)	Pay Scales (5)	Remarks (6)
1	Lecturer (i)	560 906 606 666 5013 480 0407 077 0610	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
2	Civil Engg.	566110409576344456465075663760	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
3	Mechanical Engg.	5573306385044545355055560750	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
4	Electrical Engg.	60900000900000000000000000000000	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
5	Electronics and Telecommunication Engg.	00000000000000000000000000000000	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
6	Aeronautics	00010000000000000000000000000000	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
7	Town Planning and Architecture	00007000000000000000000000000000	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
8	Pharmacy	00004000000000000000000000000000	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
9	Computer Applications	00040000000000000000000000000000	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
10	Video Production	00020000000000000000000000000000	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
11	Applied Videography	00020000000000000000000000000000	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
12	Cinecotechnology	00010000000000000000000000000000	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
13	Video Technology	00010000000000000000000000000000	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
14	Chemical Engg.	01900000300000000000000000000000	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
15	Textile Technology	01900000300000000000000000000000	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
16	Medical Office	01900000300000000000000000000000	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
17	Management	00000000000000000000000000000000	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
18	Print Science and Engg.	00030002300400000000000000000000	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
19	Refinery & Petrochemicals	00000000000000000000000000000000	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
20	Physics	11121111111111111111111111111111	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
21	Chemistry	11121111111111111111111111111111	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
22	Mathematics	11121111111111111111111111111111	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
23	English	11120111111111111111111111111111	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
24	Engg. Chemistry	00010000000000000000000000000000	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
25	Biochemistry	00010000000000000000000000000000	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
26	Plastic Technology	00000000000000000000000000000000	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
27	Manufacturing Engg.	00000000000000000000000000000000	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
28	Industrial Electronics	00000000000000000000000000000000	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
29	Mechanronics	00000000000000000000000000000000	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
30	Information Technology	00000000000000000000000000000000	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
31	Refrigeration & Air Conditioning	00000000000000000000000000000000	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
32	Training & Placement Officer-Grade-II	00001000100010001000100010001000	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	
33	Vidvo Recordist	00001000100010001000100010001000	Class-I	₹500—1350/- (State Scale)	
34	Script Writer	00001000100010001000100010001000	Class-I	₹500—1350/- (State Scale)	
35	Surveying	00000000000000000000000000000000	Class-I	₹500—1350/- (AICTE)	

Part-I : Government Polytechnic Colleges and Polytechnic Colleges

Required autonomous by the State Government to exercise Polytechnic College.

ગાંધીજીના ગુર્ગાંગ, દિનાંક 6 જિલ્લાયાર 2001

S. No.	Name of the Post	Sanctioned Posts	Classified Posts	Pass. Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ashoknagar	1	1	Passing Selection Held
2	Bhagatpur	2	2	Passing Selection Held
3	Bhedi	3	3	Passing Selection Held
4	Bhuj	4	4	Passing Selection Held
5	Bhujpal	5	5	Passing Selection Held
6	Bhujpal	6	6	Passing Selection Held
7	Dabba	7	7	Passing Selection Held
8	Dhamoh	8	8	Passing Selection Held
9	Dhar	9	9	Passing Selection Held
10	Dholka	10	10	Passing Selection Held
11	Dholka	11	11	Passing Selection Held
12	Dholka	12	12	Passing Selection Held
13	Dholka	13	13	Passing Selection Held
14	Dholka	14	14	Passing Selection Held
15	Gwalior	15	15	Passing Selection Held
16	Harda	16	16	Passing Selection Held
17	Khandwa	17	17	Passing Selection Held
18	Kherua	18	18	Passing Selection Held
19	Kherua	19	19	Passing Selection Held
20	Kherua	20	20	Passing Selection Held
21	Kherua	21	21	Passing Selection Held
22	Kherua	22	22	Passing Selection Held
23	Kherua	23	23	Passing Selection Held
24	Kherua	24	24	Passing Selection Held
25	Kherua	25	25	Passing Selection Held
26	Kherua	26	26	Passing Selection Held
27	Kherua	27	27	Passing Selection Held
28	Kherua	28	28	Passing Selection Held
29	Kherua	29	29	Passing Selection Held
All posts mentioned in S. No. 3				
3A Lecturer-Senior Grade				
3B Lecturer-Selection Grade				
4 Librarian				
4A Librarian-Senior Grade				
4B Librarian Selection Grade				
5 Physical Training Instructor				
5A Physical Training Instructor Senior				
5B Physical Training Instructor				
6 Class-II Post				
1 Assistant Workshop Superintendent	1	1	1	Passing Selection Held
2 Videographer	0	0	0	Passing Selection Held
3 Programmer	1	1	1	Passing Selection Held
4 System Analyst-Grade-III	0	0	1	Passing Selection Held
5 Carpenter	0	0	1	Passing Selection Held
6 Artist	0	0	0	Passing Selection Held
7 Assistant Surgeon	0	0	0	Passing Selection Held
All posts mentioned in S. No. 4				
Class- I	12000—18300/- (AICTE) Pass Selection Held	12000—18300/- (AICTE) Pass Selection Held	12000—18300/- (AICTE) Pass Selection Held	Passing Selection Held
All posts mentioned in S. No. 5				
Class- I	12000—18300/- (AICTE) Pass Selection Held	12000—18300/- (AICTE) Pass Selection Held	12000—18300/- (AICTE) Pass Selection Held	Passing Selection Held
All posts mentioned in S. No. 6				
Class- I	12000—18300/- (AICTE) Pass Selection Held	12000—18300/- (AICTE) Pass Selection Held	12000—18300/- (AICTE) Pass Selection Held	Passing Selection Held

SCHEDULE-I
(See rule-5)

Part-II : Government/Autonomous Women Polytechnic Colleges

Sl. No.	Name of Post (1)	Post (2)	Sanctioned Posts			Classification (4)	Pay Scale (5)	Remarks (6)
			1	2	3			
1.	Principal	1	1	1	1	1	1	1
2.	Head of Department:							
3.	Electronics and Telecommunications Engg.	1	1	1	1	1	1	1
4.	Architecture	1	1	0	0	1	0	3
5.	Pharmacy	1	0	0	0	0	0	1
6.	Computer Applications	1	0	0	0	0	0	1
7.	Modern Office Management	1	1	1	1	1	0	1
8.	Coutume Design	1	1	1	1	1	1	1
9.	Dressmaking	1	1	0	0	1	0	5
10.	Medical Laboratory	1	0	0	1	0	0	1
11.	Technology	1	0	0	0	0	0	2
12.	Computer Science & Engg.	0	0	1	1	0	0	0
13.	Interior Decoration and Design	0	1	0	1	0	0	0
14.	Beauty Culture and Cosmetology	0	0	1	0	0	0	3
15.	Food Technology	0	0	0	0	0	0	1
16.	Textile Design	0	0	0	0	0	0	1
17.	Information Technology	0	1	0	0	0	0	1
18.	System Analysis Cell	0	0	1	0	1	0	5
19.	Clothing Technology	0	0	0	0	0	0	2
20.	Maintenance Cell	0	0	0	0	0	0	1
3.	Lecturer :							
1.	Electronics and Telecommunications Engg.	0	6	6	0	0	4	28
2.	Architecture	0	4	0	0	3	0	Class-I
3.	Pharmacy	0	6	0	0	4	0	Class-I
4.	Computer Applications	0	4	0	0	4	0	4
5.	Modern Office Management	2	4	0	0	4	0	Class-I
6.	Coutume Design	0	3	2	0	4	0	4
7.	Dressmaking	0	3	0	0	4	1	36
8.	Medical Laboratory	0	3	0	2	0	4	20
9.	Technology	0	0	3	4	1	0	Class-I
10.	Computer Science & Engg.	0	0	0	5	0	0	8000-13500/- (AICTE)

Part-II : Government/Autonomous/Women Polytechnic Colleges

Sl. No.	Name of the Post (1)	Sanctioned Posts (2)	Gwalior	Khargone	Narsinghpur	Panna	Sagar	Shahdol	Total	Pay Scale		
										Class-I	Class-II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. Interior Decoration and Design.	0	3	0	0	4	0	3	0	0	0	0	10
10. Chemistry	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3
11. Maths	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	8
12. English	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	3
13. Beauty Culture and Cosmetology	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	4
14. Food Technology	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
15. Textile Design.	0	0	0	0	4	0	0	3	0	0	0	5
16. Information Technology	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	8
17. Garment Technology	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3A. Lecturer-Senior Grade												All posts mentioned in S. No. 3
3B. Lecturer-Selection Grade												All posts mentioned in S. No. 3
4. Librarian	0	1	1	1	1	0	1	2	1	0	0	9
4A. Librarian-Senior Grade												All posts mentioned in S. No. 4
4B. Librarian-Selection Grade												All posts mentioned in S. No. 4
5. Physical Training Instructor	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	6
5A. Physical Training Instructor-Senior Grade.												All posts mentioned in S. No. 5
5B. Physical Training Instructor-Selection Grade.												All posts mentioned in S. No. 5
6. Class-II post :												
1. Programmer	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9
2. System Analyst-Grade-III	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
												8030-13500/- (State Scale)
												8030-13500/- (State Scale)

35

SCHEDULE-II
(See rule-5)

Part I : Government Polytechnic Colleges and Polytechnic Colleges declared autonomous by the State Government (except Women Polytechnic Colleges)

S. No.	Name of the Post	Vacant Posts Transferred to Society	(3)
		Sub-Total of	(4)
1	2	3	4
Principal	1	0	1
2 Head of Department :	0	1	0
i. Civil Engg.	0	0	0
2. Mechanical Engg.	0	0	0
3. Electrical Engg.	0	0	0
4. Electronics and Telecommunication Engg.	1	0	1
5. Automobile Engg.	0	0	0
6. Town Planning and Architecture	0	0	0
7. Pharmacy	0	0	0
8. Production Engg.	0	0	0
9. Computer Applications	0	0	0
10. Applied Videography	0	0	0
11. Maintenance Cell	0	0	0
12. Applied Mechanics	0	0	0
13. Chemical Engg	0	0	0
14. Textile Technology	0	0	0
15. Morton Office Management	0	0	0
16. Printing Technology	0	0	0
17. Comp. Science and Engg.	0	0	0
18. Refinery & Petro-chemicals	0	0	0
19. Industrial Electronics	0	0	0
20. Mechatronics	0	0	0
21. Manufacturing Engineering	0	0	0
22. Information Technology	0	0	0
23. System Analyst-Grade-I	0	0	0
24. Workshop Superintendent	1	0	1
25. Deputy Director-LRDC	0	0	0
26. Training & Placement Officer- Grade-I	0	0	0
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26		
S. No., 1 to 15	Sub-Total of		
Ashtekar	Bhatia		
Hilalgiri	Bhattal		
Bhopal	Bhabra		
Dhamoh	Dilar		
Dabar	Gawaliar		
Jhabua	Hirada		
Jawad	Jabalpur		
Jhabua	Khandwa		
Khirsadap	Khilasdaoh		
Lilabati	Litrada		
Malvi	Mitali		
Shahdol	Shabdar		
S. No., 1 to 15	Sub-Total of		
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26		

Part-I : Government Polytechnic Colleges and Polytechnic Colleges declared autonomous by the State Government (except Women Polytechnic Colleges)

S. No.	Name of the Post (1)	Sanctioned Post already filled by Government (2)	Vacant Posts Transferred to Society (4)														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25.	Battery	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Plastic Technology	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Manufacturing Engg	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Industrial Enter. Inc.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Mechtronics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Information Technology	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Biotechnology & Aeronautics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Training & Placement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Officer Grade-II	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
34.	Scorer Writer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Mining and Mine Surveying	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Stone Surveying	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Applied Geology	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Fural Engg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Geomat Technology	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	System Analyst-Grade-II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Librarian	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1
42.	Physical Training Instructor	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
6.	Class-II Post :—																
1.	Assistant Workshop Superintendent	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
2.	Videographer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3.	Programmer	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0
4.	System Analyst-Grade-III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
5.	Camerman	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Artist	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7.	Assistant Surgeon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SCHEDULE-II
(See rule-5)

Part-I : Government Polytechnic Colleges and Polytechnic Colleges declared autonomous by the State Government (except Women Polytechnic Colleges)

S. No.	Name of the Post (2)	Sanctioned Post already filled by Government (3)															Vacant Posts Transferred to Society (4)																	
		Sub-Total of S. No. 1 to 15															Sub-Total of S. No. 1 to 15																	
	Principal	1	6	6	9	9	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	15	7	7	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0			
2	Head of Department :—	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0			
1.	Civil Engg.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	13	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	23	0			
2.	Mechanical Engg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	10	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	20	0		
3.	Electrical Engg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	10	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	20	0		
4.	Electronics and Telecommunication Engg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Automobile Engg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Town Planning and Architecture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Pharmacy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Production Engg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Computer Applications	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	Applied Videography	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Maintenance Cell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	Applied Mechanics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Chemical Engg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	Textile Technology	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	Modern Office Management	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.	Printing Technology	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17.	Comp. Science and Engg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.	Refinery & Petrochemicals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19.	Industrial Electronics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20.	Mechatronics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21.	Manufacturing Engineering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22.	Information Technology	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	System Analyst Grade-I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24.	Workshop Superintendent	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25
25.	Deputy Director-LRDC	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2004

Part-I : Government Polytechnic Colleges and Polytechnic Colleges declared autonomous by the State Government (except Women Polytechnic Colleges)

S. No.	Name of the Post (1)	Name of the Post (2)	Sanctioned Post already filled by Government (3)	Vacant Posts Transferred to Society (4)	Grand Total
Sub-Total of S. Nos. 1 to 15					
Sub-Total of S. Nos. 16 to 15					
16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27
25	26	27	28	29	29
26. Training & Placement Officer-Grade-I	0	0	0	0	0
27. Refrigeration & Airconditioning	0	0	0	0	0
28. Mining and Mine Surveying	0	0	0	0	0
29. Mine Surveying	0	0	0	0	0
30. Rural Engg.	0	0	0	0	0
31. General Technology	0	0	0	0	0
3. Lecturer :-					
1. Civil Engg.	36	3	0	0	0
2. Mechanical Engg.	45	4	1	2	0
3. Electrical Engg.	29	4	0	4	0
4. Electronics and Telecommunication Engg.	9	0	0	4	0
5. Automobile Engg.	1	0	0	0	0
6. Town Planning and Architecture	1	0	0	0	0
7. Pharmacy	12	0	0	0	0
8. Production Engg.	2	0	0	0	0
9. Computer Applications	3	0	0	0	0
10. Video Production	0	0	0	0	0
11. Applied Videography	6	0	0	0	0
12. Cinematography	0	0	0	0	0
13. Video Technology	1	0	0	0	0
14. Chemical Engg.	0	0	0	0	0
15. Textile Technology	2	0	0	0	0
16. Modern Office Management	6	0	0	0	0
17. Printing Technology	3	0	0	0	0
18. Comp. Science and Engg.	0	0	0	0	0
19. Refinery & Petrochemicals	0	0	0	0	0
20. Physics	3	1	0	0	0
21. Chemistry	10	0	6	0	0
22. Mathematics	8	0	0	0	0
23. English	7	0	0	0	0

Preliminary Change Decisions by the Supreme Court

SCHEDULE II.
(See rule 5)

(See rule 7)

Part-II : Government Autonomous Women Polytechnic Colleges

Part-II : Government/Autonomous Women Polytechnic Colleges

S. No.	Name of the Post	Service Post already filled by Government												Recent posts Transferred to Society													
		(1)	(2)	(3)						(4)						Bhopal	Burhanpur	Chhindwara	Gwalior	Indore	Jabalpur	Khargone	Narsinghpur	Panna	Sagar	Sehore	Total
(1) Lecturer:																											
1.	Electronics and Tele- communications Engg.	0	4	1	0	0	0	2	0	2	0	1	0	11	0	2	5	0	0	0	2	4	0	0	4	0	17
2.	Architecture	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	0	7	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4
3.	Pharmacy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
4.	Computer Applications	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
5.	Modern Office Management	0	4	1	1	0	1	0	2	1	1	0	12	2	0	3	1	3	1	0	4	2	0	2	3	3	24
6.	Costume Design & Dressmaking	0	2	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	8	0	1	3	0	0	0	2	4	0	0	2	0	12
7.	Medical Laboratory Technology	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	3	1	0	0	0	5
8.	Computer Science & Engg	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	11	
9.	Instructor-Decorative and Design	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	4	0	2	0	7
10.	Chemistry	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
11.	Maths	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
12.	English	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	6	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
13.	Beauty Culture and Cosmetology	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
14.	Food Technology	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	
15.	Taxic Design	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	
16.	Information Technology	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	3	0	0	3	15	
17.	Garment Technology	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
18.	Librarian	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	5	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	4	
19.	Physical Training Instructor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	5	
20.	Class-Att Post:	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Programmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	System Analyst-Grade-IIT	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.	Lecturer-Senior Grade	All posts mentioned in S. No.3				
		All posts mentioned in S. No.3				
	Lecturer-Selection Grade	All posts mentioned in S. No.3				
		All posts mentioned in S. No.3				
	Librarian	16	14	100%		
	Librarian-Senior Grade	All posts mentioned in S. No.4				
		All posts mentioned in S. No.4				
	Physical Training Instructor	12	13	100%		
	Physical Training Instructor-Senior Grade	All posts mentioned in S. No.5				
		All posts mentioned in S. No.5				
	Physical Training Instructor-Selection Grade	All posts mentioned in S. No.5				
		All posts mentioned in S. No.5				
	Class-II Post :—					
	1. Assistant Workshop Supervisor	19	3	100%		
	2. Videographer	0	1	100%		
	3. Cameraman	10	13	100%		
	4. System Analyst-Grade-III	0	1	100%		
	5. Artist	1	0	100%		
	6. Artist	1	0	100%		
	7. Assistant Surgeon	0	1	100%		

SCHEDULE-III
(See rule 7)

Part-I : Government Polytechnic Colleges and Polytechnic Colleges declared autonomous by the State Government (except Women Polytechnic Colleges)

S. No.	Name of Department	Name of Post	Duty posts which are already filled by Government	Duty post which have been transferred to Societies/ Prabandhan	Percentage of posts to be filled by Societies/ Prabandhan	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Technical Education and Training						
		Principal	16	13	100%	
		Head of Department :				
1.	Civil Engg.		1	15	100%	
2.	Mechanical Engg.		2	23	100%	
3.	Electrical Engg.		4	20	100%	
4.	Electronics and Telecommunication Engg.	0	6	100%		
5.	Automobile Engg.	0	1	100%		
6.	Town Planning and Architecture	0	1	100%		
7.	Pharmacy	2	0	100%		
8.	Production Engg.	0	1	100%		
9.	Computer Applications	0	1	100%		
10.	Applied Videography	0	1	100%		
11.	Maintenance Cell	1	2	100%		
12.	Applied Mechanics	0	1	100%		
13.	Chemical Engg.	0	1	100%		
14.	Textile Technology	0	1	100%		
15.	Modern Office Management	1	1	100%		
16.	Printing Technology	0	7	100%		
17.	Comp. Science and Engg.	0	1	100%		
18.	Refinery & Petrochemicals	0	1	100%		
19.	Industrial Electronics	0	1	100%		
20.	Mechatronics	0	2	100%		
21.	Manufacturing Engineering	0	1	100%		
22.	Information Technology	0	5	100%		
23.	System Analyst-Grade-I	0	0	100%		
24.	Workshop Superintendent	4	0	25	100%	
25.	Deputy Director-LRDC	1	0	0	100%	
26.	Training & Placement Officer-Grade-I	0	8	100%		
27.	Refrigeration & Airconditioning	0	1	100%		
28.	Mining and Mine Surveying	0	2	100%		

SCHEDULE-IV

(See rule 8)

Name of Department (1)	Name of the Post (2)	Minimum Age (3)	Maximum Age (4)	Educational Qualification & Experience (5)	Remarks (6)
Technical Education & Training	1. Principal (Technical) 2. Head of Department (Technical)	60 Years	60 Years	<p>1. Master's Degree in appropriate branch of Engineering and Technology with First class at Master's or Bachelor's level and</p> <p>2. 15 years experience in Teaching or of which 5 years must be at the level of Head of Department or experience of working at equivalent level</p> <p>Or</p> <p>1. Ph. D. in appropriate branch of Engineering/Technology/ Technical Education.</p> <p>2. 10 years experience in Teaching out of which 5 years shall be at the level of Head of Department or experience of working at equivalent level.</p>	<p>Note : Candidates from Industry/Profession with First class Master's Degree in appropriate branch of Engineering/Technology and with 15 years experience of which—</p> <p>1. At least 5 years experience as Lecturer or higher level, and</p> <p>2. 5 years experience as Head of Department or equivalent thereto, and for the rest of the duration, experience of working at appropriate level in Industry/Field/Training/Research Work, will also be eligible.</p> <p>Applicable to following branches :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Architecture 2. Automobile Engg. 3. Chemical Engg.. 4. Civil Engg. 5. Electrical Engg. 6. Electronics/Electronics and Telecommunication Engg. 7. Mechanical Engg. 8. Mine Surveying

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Training and Placement Officer-Grade-I (Technical)	50 Years	1. First class Master's Degree in appropriate branch of Engineering/Technology/Technician Education along with Basic Degree in appropriate branch from a recognised University/Institute, and 2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.	i. First class Master's Degree in appropriate branch of Engineering/Technology/Technician Education along with Basic Degree in appropriate branch from a recognised University/Institute, and ii. Textile Technology	S. Mining and Mining Surveying. G. Production Engg.	S. Mining and Mining Surveying. G. Production Engg.
4. Head of Department Applied Mechanics (Technical)	50 Years	1. First class Master's Degree in appropriate branch of Engineering/Technology/Technician Education along with Bachelor's Degree in Civil/Mechanical Engg. from a recognised University/Institute, and 2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.	Candidates having basic degree in all branches of engineering are eligible.		
5. Head of Department Beauty Culture and Cosmetology (Non-Technical)	50 years	1. First class Bachelor's Degree of a recognised University/Institute, and 2. First class Diploma in Beautician/Beauty Culture/Cosmetology of not less than two years duration from a recognised University/Board/Institute, and 3. 8 years experience of teaching in the field of Beautician/Beauty Culture/Cosmetology or out of it experience of 8 years at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.			

6. Head of Department
Cement Technology (Technical)

50 Years 1. First class Master's Degree/Postgraduate Diploma in Cement Technology along with Bachelor's Degree in Mechanical/Chemical Engg. from a recognised University Institute

Or

First class Master's Degree in Material Handling/Maintenance along with Bachelor's Degree in Mechanical/Chemical Engg. from a recognised University/Institute, and

2. 5 years experience of teaching Cement Technology subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years at least 3 years experience of teaching Cement Technology subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

7. Head of Department Computer Science and Engg. (Technical)

50 Years 1. First class Master's Degree in Computer Science and Engg./Computer Technology/Information Technology along with Bachelor's Degree in any one of the above subjects from a recognised University/Institute, and

2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

8. Head of Department Costume Design and Dress Making (Non-Technical)

50 Years 1. Ph.D. with first class Master's Degree (M.H.Sc.) in Textile and Clothing from a recognised University/Institute, and

2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

Or 1. First class Diploma in Costume Design and Dressmaking of not less than two years duration along with first class Bachelor's Degree in any subject from a recognised University/Institute, and

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2. 8 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 8 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

50 Years

9. Head of Department
Food Technology (Non-Technical)
10. Head of Department Garment Technology (Non-Technical)
- 50 Years
1. First class Master's Degree in Food Technology from a recognised University/Institute, and
2. 5 years experience of teaching Food Technology subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching Food Technology subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

1. First class Master's Degree in Textile Technology from a recognised University/Institute, and
Or
First class M.Sc. in Clothing/Garment technology from a recognised University/Institute, And

2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work

Or
1. First class Post Graduate Diploma in Garment Technology along with first class Bachelor's Degree from a recognised University/Institute.

Or
First class Diploma of 3 years duration in Fashion/Garment Technology/(Costume Designing and Dress Making along with first class Bachelor's Degree from a recognised University/Institute.

And

(1)

(5)

(3)

(4)

3. 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 8 years, at least 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

50 Years

Mr. Head of
Department
Industrial
Electronics
(Technical)

First Class Master's Degree in Industrial Electronics along with Bachelor's Degree in Electronics/Electrical and Electronics/ Electronics and Instrumentation Engg./ Technology from a recognised University/Institute.. and

5 years experience of teaching related subject at Degree/

Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at

Degree/Diploma level and for the rest of the duration

experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

50 Years

12. Head of
Department
Interior
Decoration and
Design (Non-
technical)

First-Class Bachelor's Degree in Interior Decoration and Design from a recognised University/Institute.

Or

First class Diploma in Interior Decoration & Design of not less than two years duration along with First Class Bachelor's Degree from a recognised University/Institute,

And

2. 8 years experience of teaching Interior Decoration subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 8 years, at least 5 years experience of teaching above subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

Or

1. First Class Master's Degree in Architecture with Interior Decoration and Design subject, along with Basic Degree in Architecture with Interior Decoration subject from a recognised University/Institute, and

गोपनीय राज्यपाल, भ्रमण 6 फरवरी 2004

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. Head of Department Information Technology (Technical)						
14. Head of Department Manufacturing Engg. (Technical)						
15. Head of Department Mechatronics (Technical)						

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

16. Head of
Department
Medical
Laboratory
Technology
(Non Technical)

- 50 Years
1. First Class Master's Degree in Medical Laboratory Technology from a recognised University/Institute,
- Or
- First Class Master's Degree in Bio-chemistry or Bacteriology from a recognised University/Institute, or
- First Class MBBS from a recognised University/Institute
- And
2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work. Or

1. First Class MD in Pathology from a recognised University Institute, and
2. 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 3 years, at least 2 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

17. Head of
Department
Modern Office
Management
(Non Technical)

- 50 Years
1. Ph. D. in Commerce from a recognised University/Institute and
 2. 5 years experience of teaching Modern Office Management/Modern Office Practice/Secretarial Practice & Stenography/Commercial Practice subject at Degree/Diploma level, or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching in Modern Office Management/Modern Office Practice/Secretarial Practice & Stenography/Commercial Practice subject at Degree/Diploma level, and

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	Head of Department Refinery And Petrochemicals (Technical)			for the rest of the duration experience in the related subjects at appropriate level in industry/field/training/research work.	
50 Years		1. First Class Master's Degree in Chemical/Petro Chemical/ Petroleum Engg/Technology along with Bachelor's Degree in any one of the above subjects from a recognised University/Institute, and 2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.			
50 Years		1. First Class Master's Degree in Pharmacy along with B. Pharma. from a recognised University/Institute, and 2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.			
50 Years	1. First Class Bachelor's Degree in Printing Technology from a recognised Institute/Board/University, and 2. 8 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 8 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.				
50 Years	1. First Class Bachelor's Degree in Refrigeration and Air Conditioning along with Bachelor's Degree in Mechanical Engineering from a recognised University/Institute, and 2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at				
21.	Head of Department Refrigeration & Air Conditioning (Technical)				

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

**22. Head of Department
Textile Design
(Non Technical)**

- 50 Years
- First class Master's Degree in Textile Design/Technology from a recognised University/Institute, and
 - 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

Or

- First class M.Sc. in Textile Chemistry subject from a recognised University/Institute, and
- 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

**23. Head of Department
Computer Applications
(Non Technical)**

- 50 Years
- Ph. D. in Computer Applications along with first class Master's Degree in Computer Applications from a recognised University/Institute,

Or

- First class Master's Degree in Computer Technology/Computer Science/Computer Engg./Information Technology along with Bachelor's Degree in Computer Technology/Computer Science/Computer Engg./Information Technology from a recognised University/Institute,

Or

- First class Master's Degree in Computer Technology/Computer Science/Computer Engg./Information Technology along with Bachelor's Degree in Engineering/ Technology from a recognised University/Institute.

And

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24. Head of Department Rural Engg. (Non Technical)	50 Years	1. First class Master's Degree in Rural Technology/Engg. along with Bachelor's Degree in Engineering/Technology from a recognised University/Institute, and 2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.			
25. Head of Department Town Planning and Architecture (Technical)	50 Years	1. First class Master's Degree in Architecture/Planning in Urban Design/Urban and Regional Planning/Environmental Planning/Urban Planning/Regional Planning/Transport/Housing/City Planning along with Bachelor's Degree in Architecture or equivalent (which has been duly recognised by Council of Architecture) from a recognised University/Institute, and 2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.			
26. Head of Department Maintenance Cell (Technical)	50 Years	1. First class Master's Degree in Engineering/Technology/Technician Education in appropriate branch along with Bachelor's Degree in Mechanical/Electronics/Electrical Engineering from a recognised University/Institute, and 2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at			

(5) (6)

least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

27. Head of Department Applied Videography (Non Technical)

- 30 Years
- First class Master's Degree in Physics/Chemistry from a recognised University/Institute.
- Or
- First class Bachelor's Degree in Engineering/Technology from a recognised University/Institute.
- First class Diploma in Applied Videography/Photography of at least two years duration; from a recognised University/Institute with 8 years teaching and/or professional experience.
 - First class Master's Degree in Mechanical Engg./Industrial Engg./Production/Manufacturing Engg. along with the Bachelor's Degree in appropriate branch of Engineering, and
 - 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.
- 50 Years
- First class Master's Degree in Mechanical Engg./Industrial Engg./Production/Manufacturing Engg. along with the Bachelor's Degree in appropriate branch of Engineering, and
 - 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/training/research work.

28. Workshop Superintendent (Technical)

29. System Analyst-Grade-I

- 50 Years
- First class Master's Degree in Computer Science and Engg./Computer Technology/Information Technology along with Bachelor's Degree in Computer Science and Engg./Computer Technology/Information Technology from a recognised University/Institute,
- Or
- Ph. D. in Computer Applications along with Master's Degree in Computer Applications, and
 - 5 years experience of working in Computer Centre of Government/Semi-Government/Public Undertaking Organisation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30. Deputy Director-LRDC (Technical)	21 Years	35 Years	50 Years	1. First class Master's Degree in appropriate branch of Engineering/Technology/Technician Education along with Bachelor's Degree in Engineering, and 2. 5 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/Field/training/research work.	
31. Lecturer (Technical)	21 Years	35 Years	First class Bachelor's Degree in appropriate branch of Engineering Technology from a recognised University/Institute.	Applicable to the following branches :—	
				1. Architecture 2. Automobile Engg. 3. Chemical Engg. 4. Civil Engg. 5. Electrical Engg. 6. Electronics/Electronics and Telecommunication Engg. 7. Mechanical Engg. 8. Mine Surveying 9. Mining and Mining Surveying 10. Production Engg. 11. Textile Technology	
32. Training & Placement Officer-Grade-II (Technical)	21 Years	35 Years	First class Bachelor's Degree in appropriate branch of Engineering/Technology from a recognised University/Institute.	Applicable to following Subjects :—	
33. Lecturer Science/ Humanities (Non Technical)	21 Years	35 Years	First class Master's Degree in appropriate branch of Humanities Science from a recognised University/Institute or Good academic record with at least 55% marks or an equivalent CGPA at the Master's Degree level, in the relevant Chemistry.	1. Physics 2. Chemistry/Engineering	

(6)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

subject from recognised University/Institute along with the clearing of the National Eligibility Test (NET) conducted by UGC/CSIR or similar test accredited by the UGC.

3. Maths
4. English
5. Geology
6. Botany.

34. Lecturer 21 Years
Beauty Culture and
Cosmetology
(Non Technical)

35 Years 1. First Class Bachelor's Degree of a recognised University/
Institute, and
2. First Class Diploma in Beauty Culture/
Cosmetology of not less than two years duration from a
recognised University/Board/Institute, and
3. 2 years experience in teaching and/or profession in the
field of Beauty Culture/Cosmetology.

35. Lecturer 21 Years
Cement
Technology
(Technical)

35 Years First Class Bachelor's Degree in Mechanical/Chemical
Engineering/Technology from a recognised University/Institute.
Desirable — Postgraduate Diploma in Cement Technology.

36. Lecturer 21 Years
Comp. Science
and Engg.
(Technical)

35 Years First Class Bachelor's Degree in Computer Science and Engg.
Or
/Computer Technology/Information Technology from a
recognised University/Institute.

37. Lecturer 21 Years
Costume
Design &
Dressmaking
(Non Technical)

35 Years First Class Master's Degree (M.H.Sc.) in Textile and Clothing
from a recognised University/Institute.
Or
First Class Diploma in Costume Design and Dressmaking of
not less than two years duration along with First Class
Bachelor's Degree in any subject from a recognised University/
Institute.

38. Lecturer 21 Years
Food
Technology
(Non Technical)

35 Years First Class Bachelor's Degree in Food Technology from a
recognised University/Institute.
Or

39. Lecturer 21 Years
Garment
Technology
(Non Technical)

35 Years 1. First Class Bachelor's Degree in Textile Technology from
a recognised University/Institute.
Or

5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40. Lecturer Industrial Electronics (Technical)	21 Years	35 Years	First Class M.Sc. in Clothing/Garment Technology from a recognised University/Institute, Or First Class Post Graduate Diploma in Garment Technology along with first class Bachelor's Degree,	Or First Class Diploma of 3 years duration in Fashion/Garment Technology/Costume Designing and Dress Making along with First Class Bachelor's Degree from a recognised University/Institute, And 2. Two years experience in the related subject in industry/field/training,
41. Lecturer Interior Decoration and Design (Non Technical)	21 Years	35 Years	First Class Bachelor's Degree in Electronics/Electrical and Electronics/Electronics and Instrumentation Engg./Technology from a recognised University/Institute,	1. First Class Bachelor's Degree in Interior Decoration and Design from a recognised University/Institute, or First class Diploma in Interior Decoration & Design of not less than two years duration along with First Class Bachelor's Degree from a recognised University/Institute, and 2. Two years experience in teaching and/or profession.
42. Lecturer Information Technology (Technical)	21 Years	35 Years	First Class Bachelor's Degree in Architecture with Interior Decoration and Design from a recognised University/Institute.	First Class Bachelor's Degree in Information Technology/Computer Technology/Computer Science and Engg. from a recognised University/Institute.
43. Lecturer Manufacturing Engineering (Technical)	21 Years	35 Years	First Class Bachelor's Degree in Manufacturing/Industrial Mechanical/Production Engineering/Technology from a recognised University/Institute.	First Class Bachelor's Degree in Manufacturing/Industrial Mechanical/Production Engineering/Technology from a recognised University/Institute.

44. Lecturer—
Mechanical
(Technician)
21 Years 35 Years First Class Bachelor's Degree in Production/Automation & Robotics/Manufacturing/Mechanical/Industrial Electronics/
Electronics and Instrumentation Engineering/Technology from a recognised University/Institute.
45. Lecturer—
Medical
Laboratory
Technician
(Non Technical)
21 Years 35 Years First Class Master's Degree in Medical Laboratory Technology from a recognised University/Institute,
Or
First Class Master's Degree in Bio-chemistry or Bacteriology from a recognised University/Institute,
Or
First Class MBBS from a recognised University/Institute.
46. Lecturer—
Modern Com.
Management
(Non Technical)
21 Years 35 Years First Class Master's Degree in Commerce from a recognised University/Institute.
Desirable :—Diploma/Post Graduate Diploma in Computer Applications of not less than one year duration from a recognised University/Institute.
47. Lecturer—
Modern Com.
Management
(Stenographer)
(Non Technical)
21 Years 35 Years First Class Master's Degree in Commerce along with First Class Diploma in Modern Office Management/Modern Office Practice/Secretarial Practice and Stenography/Commercial Practice from a recognised University/Institute.
Desirable :—Diploma/Post Graduate Diploma in Computer Applications of not less than one year duration from a recognised University/Institute.
48. Lecturer—
Refinery And
Petrochemicals
(Technician)
21 Years 35 Years First Class Bachelor's Degree in Chemical/Petro Chemical/ Petroleum/ Engg/Technology from a recognised University/ Institute.
49. Lecturer—
Pharmacy
(Technician)
21 Years 35 Years First Class Master's Degree in Pharmacy from a recognised University/Institute,
Or
First Class Bachelor's Degree in Pharmacy from a recognised University/Institute along with 3 years of experience.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50. Lecturer	21 Years	35 Years	First class Bachelor's Degree in Plastic/Polymer Engineering/Technology from a recognised University/Institute. Or First class Post Graduate Diploma in Plastic/Polymer Engineering/Technology along with Bachelor's Degree in any branch of Engineering/Technology.		
51. Lecturer	21 Years	35 Years	First class Bachelor's Degree in Printing Technology from a recognised Institute/Board/University.		
52. Lecturer	21 Years	35 Years	First Class Bachelor's Degree in Mechanical Engineering with Refrigeration and Air-conditioning as a subject from a recognised University/Institute.		
53. Lecturer	21 Years	35 Years	First class Bachelor's Degree in Textile Design/Technology from a recognised University/Institute. Or First class M.Sc. in Textile Chemistry subject from a recognised University/Institute.		
54. Lecturer	21 Years	35 Years	First class Masters' Degree in Computer Applications from a recognised University/Institute. Or First class Bachelor's Degree in Computer Technology/Computer Science/Computer Engineering/Information Technology from a recognised University/Institute. Or First class Masters' Degree in Computer Technology/Computer Science/Computer Engineering/Information Technology along with Bachelor's Degree in Engineering Technology from a recognised University/Institute.		
55. Lecturer	21 Years	35 Years	First class Bachelor's Degree in Rural Technology/Egg, along from a recognised University/Institute. Or		

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

First class Master's Degree/Post Graduate Diploma in Rural Technology/Engg. along with Bachelor's Degree in Engineering/Technology from a recognised University/Institute.

5. Lecturer
Town Planning
Architecture
(Non Technical)

21 Years 35 Years First class Bachelor's Degree in Architecture or equivalent
(which has been duly recognised by Council of Architecture)
from a recognised University/Institute.

5. Lecturer
Applied
Geography
(Non Technical)

21 Years 35 Years First class Master's Degree in Physics/Chemistry from a
recognised University/Institute,
Or

First class Bachelor's Degree in Engineering/Technology from
a recognised University/Institute,
and

2. First class Diploma in Applied Videography/Photography
of not less than two years duration from a recognised
University/Institute with 3 years teaching and/or
professional experience.

5. Lecturer
Geo
Introduction
(Non Technical)

21 Years 35 Years First class Master's Degree in Hindi/English along with
first class Diploma in Applied Videography/Video
Production of not less than two years duration from a
recognised University/Institute.

Or
First class Master's Degree in Mass Communication/Film
Production from a recognised University/Institute, and
2. Experience of working as Director/Producer in any
recognised institution.

Or
Two years experience in television production or relaying
from the TV institution.

5. Lecturer
Cinematography
(Non Technical)

21 Years 35 Years First class Bachelor's Degree from a recognised University/
Institute, and

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
60. Lecturer Video Technology (Non Technical)	21 Years	35 Years	<p>2. First class Diploma in Film Director/Cinematography/ Applied Video technology of not less than 3 years duration from a recognised University/Institute.</p> <p>Note : Preference shall be given to those candidates who have experience in Film Direction/Cinematography.</p> <p>1. First class Bachelor's Degree in Electronics from a recognised University/Institute.</p> <p>Or</p> <p>First class Master's Degree in Physics with specialisation in electronics from a recognised University/Institute, and</p> <p>2. Two years experience of direction and/or maintenance of video and audio equipment in any television studio.</p>	<p>First class Bachelor's Degree in Electronics from a recognised University/Board/Institute with two years experience in a reputed TV/Video studio.</p> <p>Or</p> <p>First class Diploma in Cinema/Applied Videography of not less than two years duration from a recognised University/ Board/Institute and specialisation in editing and recording along with three years practical experience.</p>
61. Lecturer Video Recordist (Non Technical)	21 Years	35 Years	<p>1. First class Bachelor's Degree in Hindi/English from a recognised University/Institute, and</p> <p>2. First class Diploma in Script writing/Drama/T.V. Production of not less than 3 years duration from a recognised University/Institute with two years experience of working in a capacity of Script Writer/Director/Actor/Artist in a recognised institution.</p>	<p>First class Master's Degree in Hindi/English from a recognised University/Institute, and</p> <p>2. First class Diploma in Script writing/Drama/T.V. Production of not less than 3 years duration from a recognised University/Institute with two years experience of working in a capacity of Script Writer/Director/Actor/Artist in a recognised institution.</p>
62. Lecturer Script Writer (Non Technical)	21 Years	35 years	<p>1. First class Bachelor's Degree in Hindi/English from a recognised University/Institute, and</p> <p>2. First class Diploma in Script writing/Drama/T.V. Production of not less than 3 years duration from a recognised University/Institute with two years experience of working in a capacity of Script Writer/Director/Actor/Artist in a recognised institution.</p>	<p>First class Master's Degree in Films from a recognised University/Institute with two years experience of working in a capacity of Script Writer/Director/Actor/Artist in a recognised institution.</p>

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
63. Lecturer Video-grapher (Non Technical)	21 Years	35 Years	First class Diploma in Video Production/Applied Videography of not less than two years duration along with first class Bachelor's Degree from a recognised University/Board/Institute. Note : Preference shall be given to candidates possessing professional experience of operating Video Cameras.	
64. Cameraman (Non Technical)	21 Years	35 Years	First class Diploma in Video Production/Applied Videography of not less two years duration along with first class Bachelor's Degree from a recognised University/Board/Institute. Note : Preference shall be given to candidates possessing professional experience of operating Video Cameras.	
65. Artist (Non Technical)	21 Years	35 Years	First class five years National Diploma in Applied and Fine Arts with specialisation in Applied Arts from a recognised University/Board/Institute. Or First class five years National Diploma in Applied and Fine Arts with specialisation in Drawing and Painting from a recognised University/Board/Institute.	
66. Assistant Workshop Superintendent	21 Years	35 Years	First class Bachelor's Degree in Mechanical/Production/Industrial/Manufacturing Engineering/Technology from a recognised University/Institute.	
67. System Analyst Grade-II	21 Years	35 Years	1. First class Bachelor's Degree in Computer Science and Engg./Computer Technology/Information Technology from a recognised University/Institute. Or First class Master's Degree in Computer Applications from a recognised University/Institute. 2. 5 years experience of working in Computer Centre of Government/Semi-government/Public Undertaking/ Organisation.	
68. System Analyst Grade-III	21 Years	35 Years	First class Bachelor's Degree in Computer Science and Engg./Computer Technology/Information Technology from a recognised University/Institute. Or First class Master's Degree in Computer Applications from a recognised University/Institute.	

*dated 04/07/04
9425695225*

(1)	(2)	(3)		(4)
69. Programmer	21 Years	35 Years	1. First class Bachelor's Degree in Computer Science and for MCA/Computer Technology/Information Technology from a recognised University/Institute.	
			Or	
			First class Master's Degree in Computer Applications from a recognised University/Institute.	
			Or	
			First class Post Diploma in Computer Applications along with Basic Diploma in any branch of Engineering from a recognised University/Institute, and	
			2. 2 years experience of working in Computer Centres of Government/Semi-Government/Public Undertaking Organisation.	
70. Librarian	21 Years	35 Years	1. Qualifying in the National Level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC, and 2. Master's Degree in Library Science/Information Science Documentation, or an equivalent professional degree with at least 55% of the marks or its equivalent C.G.P.A. and consistently good academic record, experience in computer use of library.	
71. Physician	21 Years	35 Years	1. A Master's Degree in Physical Education (two year course) or Master's degree in Sports or an equivalent Degree with at least 55% of marks or its equivalent C.G.P.A. and consistently good academic record. 2. Record of having represented the university/college in inter-university/inter-collegiate competitions or the State in various I.C.I. Championships. 2. Pass, the Physical fitness test. 3. Qualifying in the national test conducted for the b2 the UGC or any other agency approved by the UGC.	